



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2013-पौष 06, शके 1935

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### आम सूचना

हमारी फर्म मेसर्स एस. के. मिनरल्स बिजुरी जिसमें से श्री हरिनारायण खेड़िया पिता स्व. श्री पुरुषोत्तम दास खेड़िया (पार्टनर) को हमारी फर्म से दिनांक 31 मार्च, 2012 को मुक्त कर दिया गया है.

उनकी जगह पर दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से श्री रीतेश कुमार खेड़िया पिता श्री राजेन्द्र खेड़िया नये पार्टनर हो गये हैं.

जो सर्व-साधारण को सूचित होवे.

**सुरेश कुमार खेड़िया**

पिता स्व. श्री पुरुषोत्तम दास खेड़िया  
पार्टनर

एस. के. मिनरल्स बिजुरी.

(477-बी.)

#### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स सिटी मोटर्स 159/आर-84, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल (म. प्र.) (पंजी. क्र. 01/01/0100159/06) ने अपनी साझेदारी फर्म में दिनांक 25 अगस्त, 2012 को श्री पवन भदौरिया पिता एन. के. एस. भदौरिया ई-6, शासकीय आवास, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल साझेदारी से निवृत्त हुए. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों से इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं साझेदारी फर्म में 25 अगस्त, 2012 को संशोधन कर नवीन साझेदार श्रीमती आरती आनंद पत्नी श्री आर. एस. आनंद, निवासी 50, द्वारकापुरी कोटरा भोपाल एवं श्री नितिन गोपालन पिता श्री आर. ए. गोपालन निवासी 50, द्वारकापुरी, कोटरा भोपाल को फर्म में सम्मिलित किया गया जो कि भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है. दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 को फर्म में एक और संशोधन कर श्री नितिन गोपालन पिता श्री आर. ए. गोपालन, म. नं. 50, द्वारकापुरी कोटरा, भोपाल को हटा दिया गया है. भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों से इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा.

**आर. एस. आनंद**

भागीदार.

वास्ते-मेसर्स सिटी मोटर्स

(476-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारण श्री विकास गुप्ता आत्मज श्री गोपालचारी गुप्ता एवं हीरानंद टहलरमानी आत्मज किशनचंद टहलरमानी मेसर्स शिवा बिल्डकॉन के पार्टनर हैं और जो उक्त फर्म संचालित करते चले आ रहे हैं जिसका पूर्व में कार्यालय सी ब्लॉक, मेजनाइन फ्लोर समदड़िया, सिटी माधव नगर, कटनी में स्थित था. जो कि अब वर्तमान में अपने नये कार्यालय नियर न्यू एसीसी कॉलोनी, एम. ई. एस. मेन रोड, माधव नगर, कटनी में संचालित होगा. अतः यह सूचना सर्व-साधारण हेतु सूचित है जिस किसी को भी इस बाबद आपत्ति हो वह मेरे कार्यालय में आकर अपनी आपत्ति 03 दिवस के भीतर दर्ज करा सकता है.

भवदीय,  
मौसूफ अहमद,  
एडव्होकेट.

(479-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स दुर्गा माता मार्बल्स की पार्टनरशिप डीड दिनांक 17-11-2006 के अनुसार श्री श्याम सिंह वल्द श्री उमेद सिंह शेखावत निवासी धुनायन वाया उदयपुर वाटी जिला झुंझनू (राज.) राजेन्द्र सिंह वल्द श्री मोहन सिंह निवासी 3/2 एसएफएस अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर, जिला जयपुर (राज.) एवं केदार शर्मा वल्द श्री गोविंद नारायण शर्मा निवासी 38, चंद्रकला कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर जिला जयपुर (राज.) थे. तत्पश्चात् दिनांक 06-11-2012 की पार्टनरशिप एडमीशन कम रिटायरमेंट डीड में वर्णित पार्टनर श्री श्याम सिंह वल्द श्री उमेद सिंह शेखावत निवासी धुनायन वाया उदयपुर वाटी, जिला झुंझनू (राज.) द्वारा स्वेच्छा से फर्म मेसर्स दुर्गा माता मार्बल्स जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/15/03/00102/05 वर्ष 2005 है. से रिटायरमेंट लेते हुए अपने सभी अधिकारों का त्याग कर दिया गया है अब उक्त फर्म में श्री श्याम सिंह का उक्त फर्म में कोई लेना-देना नहीं है नाही कोई अधिकार है तथा अब उक्त फर्म में राजेन्द्र सिंह वल्द श्री मोहन सिंह एवं केदार शर्मा वल्द श्री गोविंद नारायण शर्मा एवं श्री नटवर लाल गोयल वल्द श्री नंदलाल मोर एवं श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल वल्द श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल नये पार्टनर जोड़े गये हैं.

यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, आम जनता, रिश्तेदारों को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन दिनांक से 3 दिवस के अंदर असल दस्तावेजों सहित मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें. समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् किसी भी आपत्ति का निराकरण नहीं किया जावेगा.

भवदीय,  
राकेश रावत  
अधिवक्ता,  
रावत ब्रदर्स प्रेम कमल विला  
जालपा प्रेस के पास, जालपा वार्ड, कटनी.

(480-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स भवानी प्रसाद कॉन्ट्रेक्टर, मुदगल पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर के फर्म की रचना में फर्म के नाम में आंशिक परिवर्तन आज दिनांक 19-12-2013 से किया जा रहा है. जो फर्म का नाम मैसर्स भवानी प्रसाद शर्मा कॉन्ट्रेक्टर हो गया है. आमजन एवं सर्वजन फर्म को नवीन नाम से सम्बोधित करें.

कपिल मुदगल  
फर्म-भवानी प्रसाद शर्मा कॉन्ट्रेक्टर  
मुदगल पायगा, माधौगंज, लश्कर, ग्वालियर.  
द्वारा-(राजीव जैन) सी. ए.  
जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(481-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 24-11-2012 को उक्त साझेदारी फर्म से 1. श्रीमति गंगादेवी मुंदडा पति श्री बेनीगोपाल मुंदडा 2. जुगल किशोर पिता श्री रामवल्लभ चांडक कर्ता : जुगल चांडक एण्ड संस (एच यु एफ) 3. श्री संजय कुमार तापडिया पिता श्री रेवतमल तापडिया 4. श्री महेन्द्र तापडिया पिता श्री रेवतमल तापडिया

5. श्री कृष्ण नारायण शुक्ला पिता श्री कामता प्रसाद शुक्ला 6. श्री आनंद कुमार शुक्ला पिता श्री कामता प्रसाद शुक्ला निवृत्तमान हो गये हैं एवं उक्त को ही 1. श्री योगेश बरालिया पिता श्री गिरधरलाल बरालिया 2. श्री अजय दावारे पिता श्री धन्नजय दावारे ने भागीदारी में प्रवेश लिया है. यह सूचनार्थ है कि उक्त दिनांक से फर्म में केवल 1. श्री बेनिगोपाल पिता श्री रामदिन मुंदडा 2. श्री संदीप कुमार मंत्री पिता श्री हनुमान प्रसाद मंत्री 3. श्री योगेश बरालिया पिता श्री गिरधरलाल बरालिया 4. श्री अजय दावारे पिता श्री धन्नजय दावारे उक्त साझेदारी फर्म में भागीदार हैं. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

**संदीप कुमार मंत्री**

(भागीदार)

वास्ते-मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स  
सी-45, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी,  
बुरहानपुर-450331

(472-बी.)

### आम सूचना

सर्व साधारण एवं फर्म मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 24-11-2012 से फर्म का पता C/o Adv R. A. Khan, 31 Khanka Ward, (Pilu ka Takiya), Burhanpur, M.P.-450331 हो गया है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

**संदीप कुमार मंत्री**

(भागीदार)

वास्ते मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स  
केअर ऑफ एडव्होकेट आर. ए. खान,  
31, खानका वार्ड (पील्लु का तकीया)  
बुरहानपुर, मध्यप्रदेश 450331

(482-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण एवं फर्म मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 24-12-2012 को उक्त साझेदारी फर्म से 1. श्री बेनीगोपाल मुंदडा पिता श्री रामदिन मुंदडा 2. श्री संदीप कुमार मंत्री पिता श्री हनुमानप्रसाद मंत्री निवृत्तमान हो गये हैं एवं उक्त दिनांक को ही 1. श्री कपिल गुप्ता पिता श्री चंद्रशेखर गुप्ता 2. श्री मोहम्मद फहीम हासमी पिता श्री मोहम्मद इस्माईल हासमी ने भागीदारी में प्रवेश लिया है. यह सूचनार्थ है कि उक्त दिनांक से फर्म में केवल 1. श्री योगेश बरालिया पिता श्री गिरधर लाल बरालिया 2. श्री अजय दावारे पिता श्री धन्नजय दावारे 3. श्री कपिल गुप्ता पिता श्री चंद्रशेखर गुप्ता 4. श्री मोहम्मद फहीम हासमी पिता श्री मोहम्मद इस्माईल हासमी उक्त साझेदारी फर्म में भागीदारी है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

**अजय दावारे**

(भागीदार)

वास्ते-मेसर्स श्री गणेश बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स  
केअर ऑफ एडव्होकेट आर. ए. खान,  
31, खानका वार्ड (पील्लु का तकीया)  
बुरहानपुर, मध्यप्रदेश 450331

(483-बी.)

### CHANGE OF NAME

This is to inform that I have changed my name Kamall Sharma in place of Kamal Sharma for All future purpose.

Old Name :

( Kamal Sharma )

New Name :

(Kamall Sharma )  
13-Vikas Nagar,  
Gwalior (M. P.)

(478-B.)

### CHANGE OF NAME

This is to inform that I have changed my name Neetaa Sharma in place of Neeta Sharma for All future purpose.

Old Name :

( Neeta Sharma )

New Name :

(Neetaa Sharma )  
13-Vikas Nagar,  
Gwalior (M. P.)

(484-B.)

### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे SHINY MATHEW (शाइनी मैथ्यू) के नाम से जाना जाता था जो कि अब बदलकर KATHREENA MATHEW (कैथरीना मैथ्यू) हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम KATHREENA MATHEW (कैथरीना मैथ्यू) के नाम से जाना जाये है.

पुराना नाम :  
( शाइनी मैथ्यू )  
(SHINY MATHEW)

(468-B.)

नया नाम :  
( कैथरीना मैथ्यू )  
(KATHREENA MATHEW)  
199-A Summer Park Colony,  
Nipania Main Road,  
Indore (M. P.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम JUSSICA MASSEY (जैसिका मैसी) के नाम से जाना जाता था जो कि अब मैंने पुत्री का नाम बदलकर JESSICA MICHAL MASSEY (जैसिका मीकल मैसी) हो गया है. अतः अब भविष्य में पुत्री को नये नाम JESSICA MICHAL MASSEY (जैसिका मीकल मैसी) के नाम से जाना जाये है.

(469-बी.)

जीवन मैसी  
SH-09 Vaishali Nagar,  
Damoh (M. P.)

### CHANGE OF NAME

I am known as Sunita Senani, shall henceforth be known as Shruti Senani vide affidavit.

Old Name :  
( Sunita Senani )

(470-B.)

New Name :  
(Shruti Senani )  
Infront of industrial Area  
Uttauli, Rewa Road,  
Satna (M. P.).

### नाम परिवर्तन

मैं, कोमल लालवानी ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर प्राची रामचन्दानी कर लिया है. अतः अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :  
( कोमल लालवानी )

(471-बी.)

नया नाम :  
( प्राची रामचन्दानी )  
पति विनीत रामचन्दानी  
92-93, गोयल नगर, इन्दौर (म. प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नीतू भार्गव पुत्री श्री कमलेश भार्गव था. मेरा विवाह 25-11-2012 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार श्री गिरीश मिश्रा जी के साथ हो गया है. अब मेरा नाम दर्शिका मिश्रा हो गया है. अब मैं इसी नाम से ही जानी, पहिचानी जाती हूँ. मेरा नया नाम दर्शिका मिश्रा है.

पुराना नाम :  
( नीतू भार्गव )

(473-बी.)

नया नाम :  
( दर्शिका मिश्रा )  
W/o श्री गिरीश मिश्रा  
पुराना हाईकोर्ट के सामने, मैना वाली गली,  
लशकर, ग्वालियर (म. प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं वरुण सूद पुत्र श्री प्रेम कुमार सूद निवासी ताराभवन, पंजाबी मोहल्ला, गुना (म. प्र.)-473001 का निवासी हूँ, मेरी पुत्री सादगी है। मेरी पुत्री का देवनागरी लिपि अनुसार नाम सादगी है। जिसका इंग्लिश में वास्तविक अनुवाद SAADGEE है। इंग्लिश में मेरी पुत्री का उक्त वास्तविक अनुवाद वाला नाम उसके स्कूल आदि में प्रारम्भ से ही लिखा हुआ है। परन्तु मेरी पुत्री सादगी को जारी किये गये पासपोर्ट क्रमांक G 9271693 में मेरी पुत्री का इंग्लिश में नाम SADGI लिखा है। जो कि सही वास्तविक अनुवाद इंग्लिश में नहीं है। इस कारण सभी सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आज से तथा भविष्य में मेरी पुत्री सादगी का इंग्लिश लिपि में नाम SAADGEE पढ़ा जावे। इस कारण यह विज्ञप्ति प्रकाशित करना आवश्यक हुआ है।

वरुण सूद पुत्र श्री प्रेम कुमार सूद

निवासी-तारा भवन, पंजाबी मोहल्ला, गुना

(म. प्र.) 473001.

(474-बी.)

**नाम परिवर्तन**

पहले मेरा नाम वीरू भागवानी आत्मज श्री नरसिंहलाल भागवानी था। अब मैंने अपना नाम बदलकर रूपचंद भागवानी आत्मज श्री नरसिंहलाल भागवानी कर लिया है। अब मुझे इसी नये नाम रूपचंद भागवानी से जाना, पहचाना जाये।

पुराना नाम :

( वीरू भागवानी )

नया नाम :

( रूपचंद भागवानी )

म. नं. 58, पुरानी सिंधी कॉलोनी,

बैरसिया रोड, भोपाल (म. प्र.)

(475-बी.)

**विविध****न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पेटलावद, जिला झाबुआ**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) एवं 5 (1) के अंतर्गत]

इस न्यायालय में मारूतीराज गौशाला हनुमानगढ़ी बारी करड़ावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के प्रधान ट्रस्टी (अध्यक्ष) महेन्द्रकुमार पिता रामलालजी अग्रवाल, निवासी पेटलावद तहसील पेटलावद द्वारा "मारूतीराज गौशाला हनुमानगढ़ी बारी करड़ावद" तहसील पेटलावद के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। ट्रस्ट के नाम से कोई नगद धनराशि नहीं है अचल सम्पत्ति जो भूमि के रूप में ग्राम करड़ावद प.ह.नं. 06, सर्वे नम्बर 2039, रकबा 01.72 की निर्मित हनुमान मंदिर के आस-पास की भूमि है।

"मारूतीराज गौशाला हनुमानगढ़ी बारी करड़ावद" तहसील पेटलावद का पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य या किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट सम्पत्ति बाबत किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखता हो तो कोई भी अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखित रूप से उद्घोषणा प्रकाशन के एक माह के भीतर दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या मुख्तार के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है, मियाद बाद प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(745)

विष्णु कमलकर,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा, जिला सागर**

रा. प्र. क्र. 45 बी/121 वर्ष 2012-13

मौजा बगौधा प.ह.नं.-05.,

तहसील बण्डा, जिला-सागर मध्यप्रदेश

शिवचरण पिता स्व. बैनीप्रसाद तिवारी,

निवासी ग्राम बगौधा, तहसील बण्डा, जिला सागर, म. प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

सर्व-साधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवचरण पिता स्व. बैनीप्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम बगौधा,

तहसील बण्डा, जिला सागर द्वारा मौजा ग्राम बगौधा प.ह.नं.-05, तहसील बण्डा में स्थित मंदिर श्री हनुमान मंदिर के नाम से स्थित भूमि खसरा नम्बर 260 रकवा 0.75 है. एवं ख. नं. 296 रकवा 2.12 है. भूमि जो मुह. हरप्रसाद (फौत) एवं मुह. रामकृष्ण (फौत) प्रबंधक कलेक्टर सागर, पता सा. देह भूमि स्वामी दर्ज है, आवेदक शिवचरण ने मोहत्तमकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सक्षम में स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद निकलने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का गौर नहीं किया जावेगा तथा आपत्ति मान्य नहीं होगी न ही सुनवाई की जावेगी.

इशतहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पद मुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 28 अक्टूबर, 2013.

पेशी दिनांक 18 दिसम्बर, 2013.

भूपेन्द्र कुमार गोयल,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(746)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

श्री माणकचंद हीरालाल दिगम्बर जैन पारमार्थिक न्यास, इन्दौर, मध्यप्रदेश कार्यालय 53, मल्हारगंज मेनरोड़, इन्दौर की ओर से श्री विमलचन्द पिता माणकचंद छाबड़ा, निवासी 53, मल्हारगंज मेनरोड़ इन्दौर, द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	श्री माणकचंद हीरालाल दिगम्बर जैन पारमार्थिक न्यास, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
कार्यालय	:	53, मल्हारगंज मेनरोड़, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	भूखण्ड क्रमांक 1,2,3,4 बी श्रेणी मंगलमार्ग, गांधी नगर, इंदौर स्थित भूखण्ड कुल आकार 9100 वर्गफीट एवं भूखण्ड क्रमांक 1,2,3 परसराम मार्ग, गांधी नगर, इंदौर स्थित भूखण्ड कुल आकार 8400 वर्गफीट.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 81,796/- ( रुपये इक्यासीहजार सात सौ छियानवे मात्र ).

आज दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(751)

( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

श्री दीनबंधु चेरीटेबल ट्रस्ट, इन्दौर कार्यालय 502, सनसाईन आपर्टमेन्ट, एन-11/12, अनूप नगर, इन्दौर की ओर से श्री विजय करण पुसुलुर, निवासी 301, ग्रेस रेसीडेन्सी 69, स्वामी विवेकानंद नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर

इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री दीनबंधु चेरीटेबल ट्रस्ट, इन्दौर.
कार्यालय	:	502, सनसाईन आपर्टमेन्ट, एन-11/12, अनूप नगर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र). (दिनांक 31 मार्च, 2013 के अंतिम लेख अनुसार)

आज दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(751-A)

### ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

ग्रीनलेण्ड फाउन्डेशन ट्रस्ट, कार्यालय 101, 102 बी. एम. टावर सपना संगीता रोड, इन्दौर की ओर से श्री अरविंद पिता हंसदास वंजारी, पता 101, 102 बी. एम. टावर सपना संगीता रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ग्रीनलेण्ड फाउन्डेशन ट्रस्ट, कार्यालय 101, 102 बी. एम. टावर सपना संगीता रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र).

आज दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(751-B)

### ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

मानसागर पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय 138, अनूप नगर, इन्दौर की ओर से जयश्री ललवानी पति विजय ललवानी व अन्य 4, निवासी 138, अनूप नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	मानसागर पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय	:	138, अनुप नगर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 21,000/- (रुपये इक्कीस हजार मात्र).

आज दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(751-C)

**( फॉर्म-चार )**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री जय सियाराम बाबा साहब नारायणजी थावरजी पारमार्थिक न्यास, कार्यालय गुरूकृपा कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर की ओर से श्री कैलाश कुसुमाकर निवासी 1/25, साधना नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री जय सियाराम बाबा साहब नारायणजी थावरजी पारमार्थिक न्यास.
कार्यालय	:	101, 102 बी. एम. टावर सपना संगीता रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 51,000/- (रुपये इक्कावन हजार मात्र).

आज दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(751-D)

विजय कुमार अग्रवाल,  
रजिस्ट्रार.

**अन्य सूचनाएं****कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013.

क्रमांक D/7550, राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (मध्यप्रदेश सीरीज) के मूल्य के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (मध्यप्रदेश सीरीज) का वार्षिक अभिदान 475/- (चार सौ पचहत्तर रुपये) निर्धारित करता है किन्तु एक प्रति का मूल्य, पूर्ववत् 40/- (चालीस रुपये) ही रहेगा. यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2014 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.

रेनु तिवारी,  
नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(752)



**कार्यालय संचालक वाष्पयंत्र**  
**बॉयलर चालन इंजीनियर परीक्षा, मण्डल, मध्यप्रदेश**  
**60, बक्षीबाग, इंदौर, मध्यप्रदेश**  
**बॉयलर प्रचालन इंजीनियर ( बी.ओ.ई. ) परीक्षा-2014**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बॉयलर चालन इंजीनियर्स नियम-2011 के अन्तर्गत बॉयलर चालन इंजीनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु आगामी परीक्षा दिनांक 08 से 11 फरवरी, 2014 को नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लि. विन्ध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, पी.ओ. विन्ध्यनगर, जिला-सिंगरौली में आयोजित की जा रही है। परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-क) इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4×10 इंच साइज का लिफाफा जिस पर रुपये 10.00 के डाक टिकिट लगे हों, भेजकर अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन-पत्र (प्रपत्र-क) की छायाप्रति भी मान्य होगी।

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र परीक्षा शुल्क रुपये 1500/- के मूल चालान के साथ निर्धारित (प्रपत्र-क) पर सम्पूर्ण विवरण के साथ भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा अपने नियुक्ता द्वारा प्रमाणित कर, सचिव बॉयलर चालन इंजीनियर्स परीक्षक मण्डल, संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश, 60, बक्षीबाग, इंदौर-452002 के कार्यालय में दिनांक 15 जनवरी, 2014 तक या उसके पूर्व डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिये। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

**पात्रता :-**

स.क्र.	शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	अनुभव का प्रकार
1.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमीकल/पॉवर प्लांट/प्रोडक्शन इंजि./इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री।	02 वर्ष	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया (रेटिंग) के बॉयलर का ऑपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव।
2.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमीकल/पॉवर प्लांट/प्रोडक्शन इंजि./इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	05 वर्ष	या
3.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमीकल/पॉवर प्लांट/प्रोडक्शन इंजि./इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री एवं एन.पी.टी.आई. से पी.जी. डिप्लोमा	01 वर्ष	बैटरी में जुड़े हुये बॉयलरों जिनका कुल हीटिंग सरफेस ऐरिया 1000 वर्ग मीटर से कम न हो जिनमें से एक बॉयलर कम से कम 500 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया का हो, का ऑपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव।
4.	एन.पी.टी.आई. से डिग्री।	01 वर्ष	

1. निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसमें से एक अधिकारी धारा-2 (डी) के अन्तर्गत मालिक (जिनके नाम पर बॉयलर का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है) होना अनिवार्य है।
2. अनुभव प्रमाण-पत्र में उल्लेखित वाष्पयंत्रों के संचालन के लिये जारी किये गये वैध प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु दिनांक 01 जनवरी, 2014 को 23 वर्ष पूर्ण होना चाहिए।
4. न्यूनतम अनुभव दिनांक 01 जनवरी, 2014 की स्थिति में पूर्ण होना चाहिए।
5. बॉयलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के अनुसार अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा में किसी विषय से छूट नहीं दी जावेगी। सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा के सभी विषय (बॉयलर इंजीनियरिंग-I, बॉयलर इंजीनियरिंग-II तथा ड्राइंग) एवं मौखिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

**जी.पी. पटेल,**

**सचिव,**

बॉयलर चालन इंजीनियर्स परीक्षा, मण्डल,  
मध्यप्रदेश, इंदौर।

## मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग

फसल रबी सम्वत् 2070 सन् 2013-14 की सिंचाई घोषणा एवं फसल रबी हेतु कृषि सम्बन्धी जानकारी

जल संसाधन खण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना ( मध्यप्रदेश )

अपील

प्रिय कृषक बन्धुओ,

प्रति वर्ष की भांति फसल रबी सम्वत् 2070 सन् 2013-14 की सिंचाई निकट भविष्य में आरम्भ होने वाली है. जल संसाधन सम्भाग, सबलगढ़ के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जायेगी विवरण इस पुस्तिका में दिया गया है.

चम्बल दाहिनी मुख्य नहर एवं एल. एम. सी. एवं अम्बाह शाखा नहर से जल संसाधन सम्भाग, सबलगढ़ के क्षेत्र में इस वर्ष रबी फसल हेतु 1,33,627 एकड़ अर्थात् 54,100 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधायें प्रदान की जावेगी. यह तभी संभव है जब आपका सहयोग हमें प्राप्त हो, आपके सहयोग से ही हम निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों से भरपूर पानी देने का प्रयास किया जाता है फिर भी कृषकगण अपने खेतों में सरसों, चना, धनियां इत्यादि की फसलें बोयें, जिससे कम पानी की प्राप्ति की स्थिति में भी अच्छी फसल की पैदावार हो सके.

इस सन्दर्भ में यह अनुरोध करना अनुचित न होगा कि सैंच्य क्षेत्र में जल अपव्यय करने की प्रवृत्ति अनुभव की जा रही है जल एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है एवं इसका उचित उपयोग करना आवश्यक है. पानी का सही एवं सामयिक उपयोग कर अधिक से अधिक रबी फसल उगायें. आप कृषि विभाग, विजयपुर, सबलगढ़ एवं कैलारस में कृषि विस्तार अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें आवश्यकतानुसार तथा मितव्ययतानुसार नीति का अनुसरण करते हुये सभी को पानी प्राप्त करने में विभाग को सहायोग दें.

यह भी देखा गया है कि कुछ कृषकगण नहरों में बंधिया एवं कट लगाकर अन्य कृषकों द्वारा नियमानुसार की जा रही सिंचाई में रुकावट पैदा करते हैं. ऐसे कृषक स्वयं दण्डनीय अपराध के भागीदार होते हैं. जल उपभोक्ता संथाएं विशेष ध्यान देकर ऐसे अपराधों को रोकने का प्रयास कर अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दें.

आपसे अनुरोध है कि आप अपने बरहों को अच्छी तरह से पूर्ण साफ कर लें, जिससे कि फसलों को व्यवस्थित ढंग से जल प्रदाय किया जा सके.

खेती में शीघ्र पानी लगाने के लिये आपके द्वारा अच्छे बरहों का निर्माण हो एवं उनके रख-रखाव की आवश्यकता न पड़े.

रबी फसल हेतु इस वर्ष चम्बल कॉम्प्लेक्स के बांधों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है. चम्बल कमाण्ड के दोनों जिलों श्योपुर एवं मुरैना में समान रूप से रबी फसल हेतु जल उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किये जावेंगे तथा संभागवार सिंचाई हेतु जल ओसरा अनुसार प्रदान किया जावेगा, सिंचाई अन्तिम छोर से प्रारम्भ कर हेड क्षेत्र की ओर की जावेगी.

उक्त ओसराबंदी को दृष्टिगत रखते हुए रबी फसल को पलेवा एवं तीन पानी प्रदाय करने के प्रयास किये जावेंगे. अतः किसानों से अनुरोध है कि कम पानी की फसल की ही बोनी करें.

विभाग से अनुबंध करने में किसान भाईयों को लाभ है. इससे आपको सिंचाई कर के रूप में कोई अर्थदण्ड नहीं देना होगा. सिंचाई राजस्व जमा कर आप देश की उन्नति एवं प्रगति में भागीदार होंगे. सभी कृषकगण यथा समय अनुबंध करावें. बकायादारों से अनुबंध नहीं किया जावेगा तथा सिंचाई हेतु जल उपयोग की स्थिति में दाण्डिक दर के अनुसार पोने दो गुनी राशि वसूली की जावेगी.

आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी कृषक सिंचाई कर की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कर राष्ट्र को मजबूत बनायें.

इस वर्ष रबी फसल के लिये जल संसाधन संभाग, सबलगढ़ की चम्बल नहरों से 1,33,627 एकड़ अर्थात् 54,100 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है. उपरोक्त उपलब्धि के लिये आपका सहयोग आवश्यक है, जो निम्नानुसार है.—

1. अपने बरहों को अच्छी तरह से साफ कर लें और उनकी मरम्मत कर लें बरहों का निर्माण करना एवं उनका रखरखाव करना आवश्यक है.
2. खेतों में फील्ड चैनल (बरहों की शाखाएं) व मेंढ बनाकर पानी लेने की प्रणाली अपनायें ताकि पूरे खेत में कम समय में आवश्यकतानुसार पानी लगाया जा सके.

3. अधिक पानी लगने से उपज कम हो जाती है, उसका ध्यान रखें.
4. रात्रि में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करें तथा पानी को बर्बाद होने से बचायें ताकि नहर के अन्तिम छोर कमाण्ड को समुचित मात्रा में पानी मिल सके.
5. सिंचाई हेतु बाराबन्दी कार्यक्रम अपनाकर अधिक से अधिक सिंचाई करें जिससे सभी कृषकगणों को समान रूप से सिंचाई का लाभ मिल सके.

हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि किसान भाई विभाग को इस तरह का पूर्ण सहयोग देकर अधिक उत्पादन करेंगे एवं राष्ट्रीय यज्ञ में भागीदार होने का गौरव प्राप्त करेंगे.

आर. पी. गुप्ता,  
अधीक्षण यंत्री,  
निचला चम्बल मण्डल, मुरैना (म. प्र.)

### कृषकों को सूचना

1. रबी फसल सम्बन्ध 2070 के लिए एग्रीमेन्ट 15 दिसम्बर, 2013 तक सामान्य फसल दर से तथा उसके पश्चात् एक माह तक सामान्य फसल दर से 10 प्रतिशत अधिक हिसाब से प्रभावित किया जावेगा.

#### नियम 43 के अनुसार—

2. यदि करार खेत के केवल एक भाग के लिए किया हो तो उस भाग को कम से कम आधा फुट मेंढ बांधकर स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जावे, उस भाग को सीमांकित न किए जाने की दशा में यह माना जावेगा कि पूरे खेत की सिंचाई की गई एवं उस पर सामान्य फसल की दर से जल कर प्रभावित किया जावेगा.

#### नियम 45 के अनुसार—

3. यदि एक ही ऋतु में किसी कुएं के किसी अन्य स्रोत का जल उसी जल की सारणी या जल मार्ग द्वारा प्रवाहित किया गया हो, तो ऐसी ऋतु के दौरान समस्त सिंचाई क्षेत्र को राज्य नहर से सिंचित किया गया क्षेत्र माना जावेगा.

#### नियम 51 के अनुसार—

4. किसी नहर के रिसने या फूटने से अगर फसल खराब होती है तो उसी समय क्षेत्र के उपयंत्रों के द्वारा जांच करा लेना चाहिए. तभी सिंचाई की माफी मिल सकती है, अन्यथा नहीं.

#### नियम 53 के अनुसार—

5. ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो जानबूझकर बरहों को तोड़ेंगे अथवा नहर बांधकर पानी लेंगे, उन कृषकों पर 250 रु. तक दण्ड किया जा सकता है.
6. सरकारी सम्पत्ति तोड़ने या नष्ट करने पर उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए 6 माह की सजा तथा 1000 रुपये का दण्ड किया जा सकता है.

#### नियम 14 के अनुसार—

7. किसी खरीफ फसल के लिये सिंचाई के लिये जल प्रदाय की वसूली 15 मार्च या उसके पूर्व जमा कर देना चाहिये तथा रबी व अन्य प्रकार की वसूली 15 जुलाई व इसके पूर्व जमा कर देना चाहिये अन्यथा नियत दिनांक के बाद जल दण्ड (शास्ति) लगेगा. 165(1) इस अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) के अनुसार निम्नलिखित अपराधों का प्रशमन किया जा सकेगा अर्थात् जब तक कोई व्यक्ति समुचित प्राधिकारी के बिना—

- (1) किसी नहर को नुकसान पहुँचायेगा, परिवर्तित करेगा या उसे बढ़ायेगा या उसमें बाधा डालेगा, या
- (2) किसी जल-धारा का उपयोग करते हुये उससे होने वाले जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करेगा.
- (3) किसी जल-धारा का उपयोग करते हुए जल-धारा तल की बर्बादी को रोकने के लिए उचित सावधानियाँ बरतने में उपेक्षा करेगा, या
- (4) सिंचाई के लिए अपने खेत में जल प्राप्त करने पर ऐसी जल बर्बादी को रोकने के लिए उचित सावधानियाँ बरतने में उपेक्षा करेगा, या

- (5) किसी नहर अधिकारी के प्राधिकारी से लगाये गये किसी भी भूमि चिन्ह मापी या साधित्रा को नष्ट करेगा, क्षति पहुँचायेगा, विरूपित करेगा, हटायेगा, या
- (6) किसी नहर के किसी संकर्मी तटों या जल सारणियों पर से या उसके आर-पार पशुओं या यानों को उस दिशा में गमन करायेगा, जबकि ऐसा गमन अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया हो, या
- (7) किसी नहर तट या सीमा पर पशुओं को चरायेगा या रस्सी बांधकर रखवायेगा, या जानबूझकर चरने देगा, या
- (8) किसी नहर तट या जल सारणी में मलमूत्र करेगा, या
- (9) किसी नहर पर उगे पेड़, झाड़ी, घास या अन्य वनस्पति को हटायेगा, क्षति पहुँचायेगा, या
- (10) किसी जल-धारा को नुकसान पहुँचायेगा, उसे परिवर्तित करेगा, या उसके जल प्रभाव में कोई बाधा डालेगा, या जल को दूषित या गन्दा करेगा, या
- (11) सिंचाई के लिए खेत में प्राप्त जल को पंचायत द्वारा अपेक्षित किये जाने पर भी खेतों के बाहर न जाने का उल्लंघन कर यदि कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करेगा, तो यह नियमानुसार 6 माह के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का भागी होगा यदि सूचना प्राप्त होने के बाद भी अपराध नहीं रोकता है तो ऐसी दशा में उससे अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

**नोट :—** पर्याप्त एवं समय पर पानी उपलब्ध होने पर ही दिया जावेगा।

### घोषणा

सर्व-संबंधित को सूचित किया जाता है कि सम्वत् 2070, वर्ष 2013-14 फसल रबी की सिंचाई हेतु इस कार्यालय के कार्य क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान चम्बल नहर प्रणाली से 54,100 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जावेगा। जिसका शाखावार एवं ग्रामवार विवरण आगे दिया गया है।

जल संसाधन संभाग सबलगढ़ के अन्तर्गत फसल रबी सम्वत् 2070, वर्ष 2013-14 के लिये पानी चलाया जावेगा। किसी शाखा नहर या कुलाबे से सिंचाई पूर्ण होने पर या अन्य अपरिहार्य कारणों से शाखा नहर या कुलाबों को बंद किया जा सकेगा।

कृषकों से अनुरोध है कि सिंचाई हेतु पानी लेने के पूर्व अपने-अपने बराहों की सफाई सुनिश्चित करेंगे। जिससे सिंचाई ठीक प्रकार से बिना जल अपव्यय के हो सके एवं कृषक अपव्यय से फसल को होने वाली क्षति से बचा सकें। क्षतिग्रस्त/बिना साफ-सफाई के बराहों में पानी नहीं दिया जावेगा एवं नियम तोड़ने पर नियमानुसार दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा।

कृषक सिंचाई अनुबंध संबंधित अमीन सिंचाई निरीक्षक से कार्यालयीन समय में करा सकते हैं। सभी कृषकगण अनुबंध का निष्पादन दिनांक 15-12-2013 तक निश्चित रूप से करवा लें। दिनांक 16-12-2012 के बाद 01 माह यानि दिनांक 15-1-2014 तक 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देकर अनुबंध कराये जा सकेंगे। अनुबंधों के लिये सिंचाई अधिनियम, 1974 की धारा-96 के प्रयोग के अधिकार शासन के पास सुरक्षित रहेंगे। जल दर का निर्धारण शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर किया जावेगा। वर्तमान दरें अंतिम पृष्ठ पर अंकित हैं।

रिंगा/लेजम या पम्प द्वारा सिंचाई करना नियम के विरुद्ध एवं दण्डनीय अपराध है इसलिये शासन द्वारा वर्ष 2013-14 में रबी सिंचाई हेतु अधिकतम 5 हॉर्सपावर के पम्प का प्रयोग करने के पहले पूर्व की बकाया राशि एवं वर्तमान रकबे की अग्रिम राशि जमा कर अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त पम्प द्वारा खेतों में पानी दिये जाने की अनुमति का प्रावधान किया गया है। आदेश पालन न करने की स्थिति में ऐसी भूमि के लिये अनुबंध भी नहीं किये जावेंगे व दण्डनीय कर लगाये जावेंगे।

सभी कृषकों से अनुरोध है कि अपनी-अपनी जल कर की बकाया राशि निर्धारित दिनांक से पूर्व ही जमा कराकर अनुबंध करा लें ताकि अप्राधिकृत दर तथा ब्याज के अधिभार सहित अन्य शासकीय अधिभार/दण्ड की राशि जमा न करना पड़े।

कृषक सिंचाई संबंधी किसी भी समस्या की दशा में अपने क्षेत्र की जल उपभोक्ता संथाओं की बैठक में अपनी कठिनाई प्रस्तुत करें जिससे समस्याओं का स्थल पर निराकरण किया जा सके। बैठक की कार्यवाही से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जावे।

इस वर्ष पलेवा एवं तीन पानी देने का प्रावधान है। अतः सभी कृषकों से विनम्र अपील है कि सभी कृषक फसलों के लिए पानी लेते समय अपने से नीचे कृषकों का भी ध्यान रखें व नहर में बांधिया न लगावें एवं नीचे जिन कृषकों की भूमि है, उनको भी पानी पहुंचाने में मदद करें।

**नोट :—** नहर कमाण्ड क्षेत्र में कृषकों द्वारा निजी शाधन से की गई सिंचाई को शासन का कमाण्ड क्षेत्र माना जाकर नियमानुसार जल दर निर्धारण की जावेगी।

**उपखण्डवार प्रस्तावित ऐलान की जानकारी**  
**जल संसाधन खण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना ( म. प्र. )**  
**जानकारी ऐलान फसल रबी सन् 2013-14, सम्बत् 2070**

स. क्र.	नाम उपखण्ड	घोषित क्षेत्रफल हैक्टेयर में चम्बल नहर द्वारा रबी	घोषित क्षेत्रफल हैक्टेयर में तालाब द्वारा रबी	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	जल संसाधन उपखण्ड, हांसिलपुर	12650	—	12650
2.	जल संसाधन उपखण्ड क्र. 3, वीरपुर	11700	1838	13538
3.	जल संसाधन उपखण्ड क्र. 2, सबलगढ़	16000	549	16549
4.	जल संसाधन उपसंभाग, कैलारस	13750	—	13750
<b>कुल योग—संभाग सबलगढ़</b>		<b>54100</b>	<b>2387</b>	<b>56487</b>

**रबी का विकासखण्डवार विवरण**

क्र.	विकासखण्ड का नाम	घोषित क्षेत्रफल नहरी	घोषित क्षेत्रफल तालाबी	कुलयोग
1	2	3	4	5
1.	श्योपुर	5467	—	5467
2.	विजयपुर	8683	1838	10521
3.	सबलगढ़	11498	549	12047
4.	कैलारस	17347	—	17347
5.	जौरा	3696	—	3696
6.	पहाड़गढ़	7409	—	7409
<b>योग—विकास खण्डवार</b>		<b>54100</b>	<b>2387</b>	<b>56487</b>

**रबी का तहसीलवार विवरण**

1	2	3	4	5
1.	श्योपुर	5467	—	5467
2.	विजयपुर	—	1488	1488
3.	बीरपुर	8683	350	9033
4.	सबलगढ़	11498	549	12047
5.	कैलारस	17347	—	17347
6.	जौरा	11105	—	11105
<b>योग—तहसीलवार</b>		<b>54100</b>	<b>2387</b>	<b>56487</b>

## रबी विधानसभावार विवरण

1	2	3	4	5
1.	श्योपुर	5467	—	5467
2.	विजयपुर	8683	1838	10521
3.	सबलगढ़	25548	549	26097
4.	जौरा	14402	—	14402
योग—विधानसभावार		54100	2387	56487

## घोषित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण सन् 2013-14, सम्वत् 2070

(आंकड़े हैक्टेयर में)

क्र.	उपसंभाग का नाम	घोषित नहरी क्षेत्र				उत्सिचन नहरी	योग		कुल योग	
		आर. एम. सी.		उत्सिचन नहरी	एल. एम. सी.		नहरी	तालाबी		
		नहरी	डी. ओ.		नहरी					डी. ओ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	उपखण्ड हांसिलपुर	831	2302	2317	—	—	—	12650	—	12650
2.	उपखण्ड क्र. 3, बीरपुर	8830	570	2300	—	—	—	11700	1838	13538
3.	उपखण्ड क्र. 2, सबलगढ़	—	—	—	13053	1039	1908	16000	549	16549
4.	उपखण्ड क्र. 4, कैलारस	—	—	—	13750	—	—	13750	—	13750
योग—नहरी, तालाबी		16861	2872	4617	26803	1039	1908	54100	2387	56487

## जल संसाधन संभाग, सबलगढ़

क्र.	नाम नहर	घोषित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	चम्बल दाहिनी मुख्य नहर	24350
2.	निचली मुख्य नहर	29750
कुल योग—नहरी		54100
कुलयोग—तालाबी		2387
कुल योग—नहरी+तालाबी		56487

## जल संसाधन संभाग, सबलगढ़

क्र.	जिला का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्योपुर	8896	2582	2672	—	—	—	14150	1838	15988		
2.	मुरैना	7968	290	1945	26803	1039	1908	39950	549	40499		
कुल योग—संभाग सबलगढ़		19861	2872	4617	26803	1039	1908	54100	2387	56487		

## प्रस्तावित घोषित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण सन् 2013-14, सम्बत् 2070

## नहर शाखावार घोषित क्षेत्र की जानकारी

स. क्र.	नहर का नाम/उप शाखा	सिंचित ग्रामों की संख्या	प्रस्तावित घोषित क्षेत्र 2013-14	
			नहरी	तालाबी
1	2	3	4	5
<b>उप संभाग हांसिलपुर चम्बल दाहिनी मुख्य नहर</b>				
1.	19 एल. शाखा / आर. एम. सी.	03	1170	—
2.	डी. ओ. 2754	01	94	—
3.	डी. ओ. 86	01	260	—
4.	डी. ओ. 87	02	423	—
5.	डी. ओ. 88	02	70	—
6.	20 एल. शाखा / आर. एम. सी.	01	232	—
7.	डी. ओ. 2934	01	107	—
8.	21 एल. शाखा/आर. एम. सी.	01	340	—
9.	डी. ओ. 2986	01	60	—
10.	डी. ओ. 3015	01	90	—
11.	22 एल. शाखा/आर. एम. सी.	03	1390	—
12.	डी. ओ. 3119	02	165	—
13.	23 एल. शाखा/आर. एम. सी.	03	191	—
14.	24 एल. शाखा/आर. एम. सी.	04	834	—
15.	डी. ओ. 3371	01	78	—
16.	डी. ओ. 3359	02	181	—
17.	25 एल. शाखा/आर. एम. सी.	07	1483	—
18.	डी. ओ. 3521	02	215	—
19.	डी. ओ. 3571	02	186	—
20.	डी. ओ. 3585	01	83	—
21.	डी. ओ. 3672	01	63	—
22.	26 एल. शाखा/आर. एम. सी.	09	1886	—
23.	27 एल. शाखा/आर. एम. सी.	01	246	—
24.	डी. ओ. 3744	01	201	—
25.	डी. ओ. 8889	01	220	—
26.	डी. ओ. 3930	01	65	—
27.	उत्सिंचन आर.एम. सी.	—	2317	—
<b>उप हांसिलपुर योग शाखा नहरी + डी. ओ.</b>			<b>12650</b>	

स. क्र.	नहर का नाम/उप शाखा	सिंचित ग्रामों की संख्या	प्रस्तावित घोषित क्षेत्र 2013-14	
			नहरी	तालाबी
1	2	3	4	5
<b>उप संभाग बीरपुर चम्बल दाहिनी मुख्य नहर</b>				
1.	28 एल./ आर. एम. सी.	02	435	—
	उत्सिंचन सी. आर. एम. सी.		155	—
2.	29 एल./ आर. एम. सी.	04	370	—
3.	30 एल./ आर. एम. सी. उत्सिंचन	04	515	—
4.	31 एल. शाखा उत्सिंचन	04	595	—
5.	डी. ओ. चैन क्र. 3960	02	30	—
6.	डी. ओ. चैन क्र. 4004	01	30	—

1	2	3	4	5
7.	डी. ओ. चैन क्र. 4020	01	48	—
8.	डी. ओ. चैन क्र. 4032	01	12	—
9.	डी. ओ. चैन क्र. 4068	01	80	—
10.	डी. ओ. चैन क्र. 4105	01	280	—
11.	डी. ओ. कैमारा कलां	01	50	—
12.	32 एल शाखा ( 33 एल शाखा )	07	1115	—
13.	1 आर/ 33 एल	02	180	—
14.	2 आर/ 33 एल	02	230	—
15.	3 आर/ 33 एल	12	2410	—
16.	4 एल/ 33 एल	02	320	—
17.	5 आर/ 33 एल	07	1190	—
18.	6 आर/ 33 एल	02	350	—
19.	7 एल/ 33 एल	07	1120	—
20.	डी. ओ. नं. 12	02	90	—
21.	डी. ओ. नं. 14	02	150	—
22.	उत्सिचन सी. आर. एम. सी.		1945	—
उप संभाग बीरपुर कुल योग नहरी . .			11700	

## तालाबी

1.	कोटा तालाब	05	—	700
2.	छापर तालाब	03	—	188
3.	वारधा तालाब	06	—	600
4.	बीरपुर तालाब	07	—	350
योग तालाबी . .			21	1838
कुल योग नहरी+तालाबी उपसंभाग बीरपुर . .				13538

## उपसंभाग क्र. 2, सबलगढ़ निचली मुख्य नहर

1.	1 एल शाखा	4	234	
2.	2 एल शाखा	3	171	
3.	3 एल शाखा	4	174	
4.	4 एल शाखा	24	5055	
5.	4 एल ए शाखा	12	1880	
6.	4 एल बी शाखा	5	451	
7.	4 आर सी शाखा	5	276	



1	2	3	4	5
8.	6 एल शाखा	3	250	
9.	7 एल शाखा	3	164	
10.	8 एल शाखा	4	350	
11.	9 एल शाखा	4	496	
12.	डी. ओ. नं. 1	1	40	
13.	डी. ओ. नं. 2	2	49	
14.	डी. ओ. नं. 3	1	34	
15.	डी. ओ. नं. 4	1	80	
16.	डी. ओ. नं. 5	1	57	
17.	डी. ओ. नं. 7	1	10	
18.	डी. ओ. नं. 8	1	90	
19.	डी. ओ. नं. 9	1	38	
20.	डी. ओ. नं. 10	1	36	
21.	डी. ओ. नं. 11	1	90	
22.	डी. ओ. नं. 12	1	42	
23.	10 एल शाखा	7	1238	
24.	11 एल शाखा	2	170	
25.	12 एल शाखा	1	50	
26.	13 एल शाखा	2	673	
27.	14 एल शाखा	3	250	
28.	15 एल शाखा	3	240	
29.	16 एल शाखा	9	916	
30.	डी. ओ. नं. 13	1	54	
31.	डी. ओ. नं. 14	1	33	
32.	डी. ओ. नं. 15	1	100	
33.	डी. ओ. नं. 16	1	58	
34.	डी. ओ. नं. 18	1	105	
35.	डी. ओ. नं. 19	3	105	
36.	डी. ओ. नं. 20	1	33	
योग शाखा एवं डी. ओ. ..			14092	
उत्सिचन एल. एम. सी. राइट साइड			1908	
कुल योग नहरी एल.एम. सी. ..			16000	

**घोषित क्षेत्र उपसंभाग कैलारस वर्ष 2013-14 सम्बत् 2070**  
**वितरिका एवं संथावार घोषित क्षेत्रफल की जानकारी**

स. क्र.	नहर का नाम/उपशाखा	सिंचित ग्रामों की संख्या	प्रस्तावित घोषित क्षेत्र 2013-14	
			नहरी	तालाबी
1	2	3	4	5
<b>उपसंभाग कैलारस</b>				
1.	5 एल एल. एम. सी.	35	4435	
2.	1 आर 5 एल एल. एम. सी.	04	320	
3.	2 एल 5 एल एल. एम. सी.	01	275	
4.	3 आर 5 एल एल. एम. सी.	01	170	
5.	4 आर 5 एल एल. एम. सी.	08	1475	
6.	5 आर 5 एल एल. एम. सी.	09	640	
7.	6 आर 5 एल एल. एम. सी.	03	335	
8.	7 एल 5 एल एल. एम. सी.	06	655	
9.	8 एल 5 एल एल. एम. सी.	06	295	
10.	9 आर 5 एल एल. एम. सी.	05	690	
11.	10 एल 5 एल एल. एम. सी.	14	1590	
12.	11 आर 5 एल एल. एम. सी.	08	1815	
13.	12 आर 5 एल एल. एम. सी.	03	240	
14.	13 आर 5 एल एल. एम. सी.	09	815	
<b>कुल योग उप संभाग कैलारस नहरी</b>			<b>13750</b>	
<b>कुल योग जल संसाधन संभाग सबलगढ़ नहरी</b>			<b>54100</b>	
<b>तालाबी</b>			<b>2387</b>	
<b>कुल योग नहरी + तालाबी</b>			<b>56487</b>	

**घोषित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण सन् 2013-14 सम्बत् 2070**  
**वितरिका एवं संथावार घोषित क्षेत्रफल की जानकारी**

स. क्र.	संथा का नाम व क्रमांक	नहर का नाम उपशाखा	सिंचाई ग्रामों का नाम	घोषित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सेक्शन का नाम	नाम उपयंत्री	नाम अमीन	नाम हल्का अमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उपसंभाग हांसिलपुर नहरी	जलउपभोक्ता संथा 018 धीरोली			संथा अध्यक्ष का नाम—श्री कृष्णकुमार			
						मोबा. 9165834248		
<b>हांसिलपुर वितरिका समिति जिला-श्यापुर</b>								
	जल उपभोक्ता संथा 018 धीरोली	19 एल शाखा आर. एम. सी.	क्यारपुरा	203	19 एल शाखा	श्री एस.आर. गोयल	श्री व्ही.के. शुक्ला	धीरोली
						9993277392	9826218716	
			धीरोली	467				—
			माकड़ोद	500				—
<b>कुल योग 19 एल शाखा ...</b>				<b>1170</b>				—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		डी. ओ. 2754	क्यारपुरा	94				—
		डी. ओ. 56	सेमल्दा	260				—
		डी. ओ. 87	नसीरपुरा	23				—
			बगदिया	400				—
		<b>योग डी. ओ. 87 ..</b>		<b>423</b>				<b>—</b>
		डी. ओ. 88	नसीरपुरा	15				—
			बगदिया	55				—
		<b>योग डी. ओ. 88 ..</b>		<b>70</b>				<b>—</b>
		20 एल. शाखा	बगदिया	232				—
		आर. एम. सी.						
		डी. ओ. 2934	बगदिया	107				—
		<b>कुल योग जल उपभोक्ता संथा 018 धीरोली ..</b>		<b>2356</b>				<b>—</b>
	जल उपभोक्ता संथा 019 बगदिया	21 एल शाखा	बगदिया	340	—	श्री आस. सी. मौर्य 8819995035	श्री शमसाद खों प्र. अ. 8889175264	बगदिया
		डी. ओ. 2986	बगदिया	60				—
		डी. ओ. 3015	बगदिया	90				—
		22 एल. शाखा	पदमपुरा	68				—
			बगदरी	538				—
			बगदिया	784				—
		<b>कुल योग 21 एल शाखा ..</b>		<b>1390</b>				<b>—</b>
		डी. ओ. 3119	खोजीपुरा	90				
			ढोढर	75				
		<b>कुल योग डी. ओ. 3119 ..</b>		<b>165</b>				<b>—</b>
		23 एल शाखा	हांसिलपुर	39				
			ढोढर	76				
			खोजीपुरा	76				
		<b>कुल योग 23 एल शाखा ..</b>		<b>191</b>				<b>—</b>
		<b>कुल योग संथा 019 बगदिया ..</b>		<b>2236</b>				<b>—</b>
स. क्र.	संथा का नाम व क्रमांक	नहर का नाम उपशाखा	सिंचाई ग्रामों का नाम	घोषित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सेक्शन का नाम	नाम उपयंत्री	नाम अमीन	नाम हल्का अमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उपसंभाग हांसिलपुर नहरी	जल उपभोक्ता संथा 020 टर्राकलां			संथा अध्यक्ष का नाम	श्री मदनमोहन		
					मोबा. 7828116026			
	जल उपभोक्ता संथा 020 टर्रा	24 एल शाखा	बलावनी	500	श्री एस. एल. अटेरिया	श्री ए. के. उपाध्याय		बलावनी
					मो. 9893669313	मो. 828419810		
			भूरेड़ी	105				
			सुखवास	122				
			दांतेटी	107				
		<b>कुल योग 24 एल शाखा ..</b>		<b>834</b>				<b>—</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		डी. ओ. 3371	बलावनी	78		श्री एस. एल. अटेरिया मो. 9893669313	श्री ए. के. उपाध्याय मो. 828419810	बलावनी
		डी. ओ. 3359	टराखुर्द टराकलां	79 102				
		<b>योग डी.ओ. 3359</b>		<b>181</b>				
		25 एल. शाखा	किन्नपुरा सुठारा आंकोरिया मिलावली खेरोदाकलां अरौंदरी खेरोदा खुर्द	308 455 103 204 155 205 53				
		<b>कुल योग 25 एल शाखा</b>		<b>1483</b>				
		<b>कुल योग उपभोक्ता संथा 020 टराकलां</b>		<b>2576</b>				
उपसंभाग हांसिलपुर		नहरी जल उपभोक्ता संथा 021	रघुनाथपुर		संथा अध्यक्ष का नाम : श्री संदीपसिंह जादौन मोबा. 9754441300			
जल उपभोक्ता संथा 021 रघुनाथपुर		डी. ओ. 3521	महुआमार लक्ष्मणपुरा	93 122	रघुनाथपुर	श्री एस. एल. अटेरिया 9893669313	श्री एस. के. उपाध्याय (प्र.) 9754405815	रघुनाथपुर
		<b>योग डी. ओ. 3521</b>		<b>215</b>				
		डी. ओ. 3571	लक्ष्मणपुरा सुमरेरा	32 154				
		<b>योग डी. ओ. 3571</b>		<b>186</b>				
		डी. ओ. 3585	सुमरेरा	83				
		डी. ओ. 3672	रावतपुरा	63				
		26 एल शाखा	रघुनाथपुर सुमरेरा हीरापुरा किशनपुरा रावतपुरा नीमच डोंगरपुर धोरीबावड़ी पराष्ठा पिपरानी	201 461 462 100 61 305 55 111 100 30				
		<b>योग 26 एल. शाखा</b>		<b>1886</b>				
		27 एल शाखा	रघुनाथपुर	246				
		डी. ओ. 3744	रघुनाथपुर	201				
		डी. ओ. 3889	धोरीबावड़ी	220				
		डी. ओ. 3930	भेरोपुरा	65				
		<b>कुल योग जल उपभोक्ता संथा 021 रघुनाथपुर</b>		<b>3165</b>				
		<b>उत्सिचन</b>		<b>2317</b>				
		<b>कुल योग उपसंभाग हांसिलपुर</b>		<b>12650</b>				
		बी. आर. सरईया, सिचाई निरीक्षक, जल संसाधन उपखण्ड हांसिलपुर, जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)	राहुल यादव, उपखण्डीय पदाधिकारी. जल संसाधन उपखण्ड हांसिलपुर, जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)			डी. एल. शाक्य, कार्यपालन यंत्री. जल संसाधन संभाग सबलगढ़, जिला मुर्ना (मध्यप्रदेश)		

जल संसाधन उपसंभाग बीरपुर, जिला श्योपुर ( मध्यप्रदेश )  
घोषित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण सन् 2013-14 सम्बत् 2070  
संथावार घोषित क्षेत्रफल की जानकारी

क्र.	संथा का नाम व क्रमांक	नहर का नाम उपसंभाग	सिंचाई ग्रामों के नाम	घोषित क्षेत्र हेक्टेयर में	सेक्शन का नाम	नाम उपयंत्री	नाम अमीन	नाम हल्का अमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उपसंभाग वीरपुर,	नहरी जल उपभोक्ता संथा 022 वीरपुर			संथा अध्यक्ष का नाम: श्री परसू रावत			
						मोबा. 8234867226		
	022 वीरपुर	डी. ओ. 3960	श्यामपुर	13	सिल्लीपुर	श्री आर. एस. चौहान	श्री एन. एल. वाथम	सिल्लीपुर
		डी.ओ. 3960	बसौना	17		मो. 9301155441		
		<b>योग डी. ओ. 3960</b>		<b>30</b>				
		28 एल. शाखा	श्यामपुर	315				
			नदीगांव	120				
		<b>योग 28 एल शाखा</b>		<b>435</b>				
		डी. ओ. 4004	श्यामपुर	30				
		डी. ओ. 4020	श्यामपुर	48				
		डी. ओ. 4032	श्यामपुर	12				
		डी. ओ. 4068	श्यामपुर	80				
		डी. ओ. 4105	घूघस	280				
		लिफ्ट सी.आर.एम.सी.	छावर	155				
		<b>योग समस्त डी. ओ.</b>		<b>450</b>				
		29 एल. शाखा	गोहर	150	कूनो	„	श्री एन. एल. बाथम	बीरपुर
			पांचों	55				
			दिमरछा	80				
			जाखेर	70				
		लिफ्ट सी.आर.एम.सी.	सीखेड़ा	05				
			तेलीपुरा	10				
		<b>योग 29 एल शाखा</b>		<b>370</b>				
		<b>योग संथा 022 बीरपुर</b>		<b>1440</b>				
		30 एल. शाखा	वड़ागांव	60	बीरपुर	श्री दिनेश कुमार गुप्ता		
		<b>कुल योग नहरी तह. विजयपुर</b>		<b>1500</b>				
		<b>जिला श्योपुर</b>						
		<b>जिला मुरैना</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>जल उपभोक्ता संस्था 061 बावड़ीपुरा</b>				<b>संस्था अध्यक्ष का नाम: श्री रमेश रावत</b>				
	30 एल. शाखा	काछिन्दा	40	वीरपुर	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	श्री एन. एल. वाथम	बीरपुर	
		निवाड़ी	130		मोबा. 9425457240			
		कैमाराकलां	180					
	लिप्ट सी.आर.एम.सी.	श्यारदा	60					
		विचपुरी	45					
	<b>योग 30 एल</b>		<b>455</b>					
	<b>डी. ओ. कैमाराकलां</b>		<b>50</b>	<b>टेंटरा</b>				<b>टेंटरा</b>
	31 एल. शाखा	गडुला	50					
		वथर	50					
		गोंदोली	125					
		वावड़ीपुरा	250					
	लिप्ट सी.आर.एम.सी.	मानपुर	100					
		बौलाज	20					
	<b>योग 31 एल शाखा</b>		<b>595</b>					
	<b>योग संस्था 061 बावड़ीपुरा</b>		<b>1100</b>					
<b>जल उपभोक्ता संस्था 049 जावरौल उपसंभाग बीरपुर</b>				<b>संस्था अध्यक्ष का नाम : श्री बांकलाल रावत</b>				
1.	049 संस्था जावरौल	32 एल. शाखा	जावरौल	400	32 एल	श्री व्ही. के. शर्मा	श्री एम. एस. चौहान	जावरौल
			अटार	50		मोबा. 9425778756	श्री डी. पी. शर्मा	
			पचैर	170				
			जाटौली	250				
			नंदवाना	150				
			खोह	25				
			कीरतपुर	70				
	<b>योग 32 एल शाखा</b>		<b>1115</b>					
2.	1आर.33 एल.	रामपहाडी	140	रामपहाडी				रामपहाडी
		कीरतपुर	40					
	<b>योग 1 आर 33 एल</b>		<b>180</b>					
3.	2 आर.33 एल.	कीरतपुर	130					
		जावरौल	100					
	<b>योग 2 आर 33 एल</b>		<b>230</b>					
<b>050 संस्था मांगरौल</b>				<b>संस्था अध्यक्ष का नाम : श्री रामबाबू शर्मा मो. 7879185031</b>				
4.	3 आर 33 एल.	अटार	70	रामपहाडी	श्री डी. पी. वर्मा	श्री आर.एच. शाक्य		
		मांगरौल	600		7827805435	श्री आर.एच. शाक्य	मांगरौल	
		कैमारी	180			श्री एम.एस. चौहान	खेराडिगवार	
		डोगरपुर	10					
		पिपरघान	600			श्री रामहेत शाक्य	पिपरघान	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 आर 33 एल.	बेरई गिर्द	240	रामपहाड़ी	श्री डी. पी. वर्मा	श्री रामहेत शाक्य	पिपरधान
						मोबा. 7827805435		
			बालाकातोर	150			श्री एम. एस. चौहान	
			खेरला	240				
			खेरली	80				
			राजाकातोर	140			श्री रामहेत शाक्य	
			नौरावली	50			श्री एम.एस. चौहान	
			जमुनीपुरा	50				
		<b>योग 3 आर 33 एल</b>		<b>2410</b>				
5.		4 एल 33 एल	अटार	210	33 एल	श्री व्ही. के. शर्मा	श्री एम. एस. चौहान	जावरौल
			बाबडी	110			रामहेत शाक्य	
		<b>योग 4 एल 33 एल</b>		<b>320</b>				
		<b>जल उपभोक्ता संथा 051 बरतोखर</b>				<b>संथा अध्यक्ष का नाम : श्री धनीराम सिंह जादौन मो. 9926292867</b>		
6.		5 आर 33 एल	बाबडी	115	33 एल	श्री डी. पी. वर्मा	श्री एम. एस. चौहान	बरतोखर
			अटार	20				जावरौल
			डोगरपुर	150			श्री एम.एस. चौहान	खेराडिगवार
			रामगढ़	130				
			बरतोखर	560			आर. एच. शाक्य	
			नौरावली	190			एम. एस. चौहान	
			अलीपुरा	25				
		<b>योग 5 आर 33 एल</b>		<b>1190</b>				
		<b>जल उपभोक्ता संथा 049 जावरौल</b>						
7.		6 आर 33 एल	डिगवार	250	33 एल			
			खेराडिगवार	100				
		<b>योग 6 एल 33 एल</b>		<b>350</b>				
		<b>योग संथा जावरौल</b>		<b>2195</b>				
		<b>जल उपभोक्ता संथा 051 बरतोखर</b>						
8.		7 एल 33 एल	खेराडिगवार	300				
			चक्कपालरी	50				
			रहूगाँव	365				
			बनवारा	160				
			गाजीखेडा	185				
			रामगढ़	50				
			नौरावली	10				
		<b>योग 7 एल 33 एल</b>		<b>1120</b>				
		<b>कुल योग 051 बरतोखर संथा</b>		<b>2310</b>				
		<b>कुल योग 33 एल शाखा</b>		<b>5800</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>जल उपभोक्ता संथा 050 मांगरौल</b>								
9.		डी. ओ. 12 आर. एम. सी.	देवपुर पूंछरी	40 50	33 एल	श्री डी. पी. वर्मा	एम. एस. चौहान	खेराडिगवार
<b>योग डी.ओ. 12</b>				<b>90</b>				
10.		डी.ओ. 14 आर. एम. सी.	सुनहेरा सबलगढ़	100 50				
<b>योग डी.ओ. 14</b>				<b>150</b>				
<b>लिफ्ट सी. आर.एम.सी.</b>				<b>1945</b>				
<b>योग 050 मांगरौल संथा</b>				<b>2650</b>				
<b>जिला मुरैना एवं श्योपुर उपखण्ड बीरपुर कुल योग नहरी</b>				<b>11700</b>				
<b>जल उपभोक्ता संथा 031 बीरपुर तालाब</b>					<b>संथा अध्यक्ष का नाम : बृजभूषण शर्मा मो. 9685561155</b>			
1.	बीरपुर तालाब		बीरपुर	140	बीरपुर	श्री आर.एस. चौहान	श्री एन.एल बाथम	बीरपुर
			तेलीपुरा	20				
			जाखेर	15				
			गोहर	85				
			सीखेड़ा	10				
			पांचो	30				
			श्यारदा	50				
<b>योग संथा 031 बीरपुर तालाब</b>				<b>350</b>				
<b>जल उपभोक्ता संथा 032 कोटा एवं छापरा तालाब</b>					<b>संथा अध्यक्ष का नाम : नेहनूराम धाकड़</b>			
2.	जल उप. संथा कोटा तालाब		कोटा	35	विजयपुर	श्री डी.के. गुप्ता	श्री एन.एल. बाथम	विजयपुर
			बेहटा	50				
			कोटरी	95				
			फरारा	70				
			सहसराम	450				
<b>योग कोटा तालाब</b>				<b>700</b>				
3.	छापरा तालाब		छापरा	80	विजयपुर	श्री डी.के. गुप्ता	श्री एन.एल. बाथम	विजयपुर
			मेंदावली	80				
			विजयपुर	28			श्री रामवीर रावत (प्र.)	
<b>योग छापरा तालाब</b>				<b>188</b>				
<b>जल उपभोक्ता संथा 033 बारधा</b>					<b>संथा अध्यक्ष का नाम :</b>			
	संथा बारधा		बैनीपुरा	200	विजयपुर	श्री जी. के. गुप्ता	श्री एन.एल. बाथम	विजयपुर
			आरोदा	150				
			मेंदावली	100				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	संथा बारधा		विजयपुर	100	विजयपुर	जी.के. गुप्ता	श्री एन.एल. बाथम	विजयपुर
			गोपालपुरा	25				
			चंदेली	25				
	योग 033 बारधा तालाब			500				
	कुल योग तालाब जिला श्योपुर			1838				
	कुल नहरी जिला मुरैना			10200				
	कुल योग नहरी जिला श्योपुर			1500				
	कुल योग नहरी तालाबी उप संभाग बीरपुर			13538				

एन. एल. बाथम,  
कार्यवाहक सिंचाई निरीक्षक,  
जल संसाधन उपखण्ड क्र. 3, बीरपुर,  
जिला श्योपुर (म.प्र.)  
मो. 9977486265

भागीरथ छीपा,  
उपखण्डीय पदाधिकारी,  
जल संसाधन उपखण्ड क्र. 3, बीरपुर,  
जिला श्योपुर (म.प्र.)

डी. एल. शाक्य,  
कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग सबलगढ़,  
जिला मुरैना (म.प्र.).

प्रस्तावित ऐलान फसल रबी 2013-14 सम्वत् 2070  
जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 2, सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.)

क्र.	संथा का नाम	नहर का उप नाम	सिंचाई ग्रामों का नाम	घोषित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सेक्शन का नाम	नाम उपयंत्री	नाम अमीन	नाम हल्का अमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नेपरी वितरिका समिति निचली मुख्य नहर-जल उपभोक्ता संथा 057 सेंमई				संथा अध्यक्ष का नाम : श्री हाकिमसिंह रावत			
1.	057 सेमई	डी.ओ. 1	सुनहेरा	40	सेमई	श्री पी. सी. शर्मा	श्री रामकुमार शर्मा	कुल्हौली
		1 एल	बेरई गिर्द	20				
			कुतघान	70				
			पहाड़ी	90				
			इटवा	54				
	योग 1 एल			234				
2.		डी.ओ. 2	पहाड़ी	40				
			इटवा	09				
	योग डी.ओ. 2			49				
4.		2 एल शाखा	पहाड़ी	40				
			इटवा	30				
			कुल्हौली	101				
	योग 2 एल शाखा			171				
5.		3 एल शाखा	पासौनकलां	30				
			पासौनखुर्द	25				
			कुल्हौली	94				
			डभैरा	25				
	योग 3 एल शाखा			174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	057 सेमई	डी.ओ. 3	डभैरा	34	सेमई	श्री पी. सी. शर्मा	श्री रामकुमार कुल्हौली शर्मा	
						मो. 9977641040		
7.		डी.ओ. 4	बकसपुर	80				
8.		4 एल शाखा	महेवा	72				चनोटी
			लंकेजरा	100				
			साईपुरा	121				
			भीलमपुर	96				
			चनोटी	200				
			मुरबई	200				
			सेमई	400				
			ऐंचौली	300				
			कुटरावली	80			सेमई	
			बडमन	160				
कुल योग 4 एल				1729				
उत्सिचन एल.एम.सी. राइड साईट				356				
कुल योग 057 सेमई संथा				2867				
जल उपभोक्ता संथा 058 नैपरी				संथा अध्यक्ष का नाम : श्री रामस्वरूप शुक्ला मो. 9301656642				
058 नैपरी	4 एल शाखा	कुटरावली	240	नैपरी	श्री एस.एस. सिकरवार	श्री पी.डी. वर्मा	कुटरावली	
					मो. 9926890911			
			खेड़ातोर	227				
			जयरामपुरा	195				
			लुधाया	171				
			नैपरी	400				नैपरी
			पचेखा	330				
			हटीपुरा	305				
			रजपुरा	200				
			किरावली	200				खेडली
			किशनगढी	54				
			जैरना	210				
			गुजरना	208				
			खेडली	300				
			भर्रा	290				
कुल योग 058 नैपरी संथा				3330				
जल उपभोक्ता संथा 059 बधरेंटा				संथा अध्यक्ष का नाम : श्री रामस्वरूप यादव मो. 9098384263				
9.	4 एल. ए.	बधरेंटा	281	बधरेंटा	श्री के. एस. यादव	श्री एस. एन. पाण्डेय	बधरेंटा	
					मो. 8889263500			
			शहदपुर	250				
			इटौरा	290				
			उचांड	140				
			हिरावली	90				
			गुलपुरा	60				
			सुरापुरा	100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4 एल. ए.	किरियच	85	बधरेंटा	श्री के. एस. यादव	श्री एस.एन. पाण्डेय	बधरेंटा
			सुहांस	300			मो. 8889263500	
			नैपरी	100				
			कुटरावली	115				
			सेमई	70				
		<b>योग 4 एल. ए.</b>		<b>1881</b>				
10.		डी.ओ. 5	बधरेंटा	70				
11.		4 एल. बी.	बधरेंटा	240				
			खनपुरा	15				
			रायपुर	10				
			चौकी	86				
			कोल्हैरा	100				
		<b>योग 4 एल. बी.</b>		<b>451</b>				
12.		4 आर. सी.	खनपुरा	46				
			नगावनी	60				
			रायपुर	60				
			गढपैरा	60				
			सराय	50				
		<b>योग 4 आर. सी.</b>		<b>276</b>				
		<b>उत्सिंचन एल.एम.सी. राइट साईड</b>		<b>420</b>				
		<b>योग संथा 059 बधरेंटा</b>		<b>3098</b>				
<b>जल उपभोक्ता संथा 060 तिलोंजरी</b>				<b>संथा अध्यक्ष का नाम : श्री महेश धाकड़ मो. 9098430541</b>				
13.	संथा 60 तिलोंजरी	डी. ओ. 7	कोंडा	10	तिलोंजरी	श्री के. के. शर्मा	श्री सदाशिव शर्मा	तिलोंजरी
						मो. 9039184581		
14.		डी. ओ. 8	कोंडा	90				
15.		डी. ओ. 9	सगौरिया	38				
16.		डी. ओ. 10	सगौरिया	36				
17.		डी. ओ. 11	सगौरिया	90				
18.		डी. ओ. 12	मनोहरपुरा	20				
		डी. ओ. 12	तिलोंजरी	22				
		<b>योग डी. ओ. 12</b>		<b>42</b>				
19.		6 एल. शाखा	सिंगाचौली	100				
			लहरा	80				
			धूरकूडा	70				
		<b>योग 6 एल. शाखा</b>		<b>250</b>				
20.		7 एल. शाखा	लहरा	50				
			धूरकूडा	80				
			तिलोंजरी	34				
		<b>योग 7 एल. शाखा</b>		<b>164</b>				
21.		8 एल. शाखा	केमराघाघ	110				
			तिलोंजरी	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8 एल. शाखा	पिपरौनियां किरावली मानगढ़ विरावली	30 135  25	तिलोंजरी	श्री के. के. शर्मा मो. 9039184581	श्री सदाशिव शर्मा	तिलोंजरी
		<b>योग 8 एल. शाखा</b>		<b>350</b>				
		<b>उत्सिचन एल.एम.सी. राइट साईड</b>		<b>387</b>				
		<b>योग संथा 060 तिलोंजरी</b>		<b>1457</b>				
		<b>जल उपभोक्ता संथा 067 परसोटा</b>				<b>संथा अध्यक्ष का नाम : श्री बैजनाथ रावत मो. 9893745010</b>		
13.	संथा 067 परसोटा	9 एल. शाखा	किसरोली  पाण्डोली बराहना बूढसिरथरा	136  80 150 130	परसोटा	श्री के. के. शर्मा मो. 9425779376	श्री रामकुमार शर्मा	परसोटा
		<b>योग 9 एल. शाखा</b>		<b>496</b>				
		10 एल. शाखा	फुलेंदा मलीवाजना वमनवाजना अरोंदा बघरोली माधौपुरा डमेंजर	85 210 225 275 263 100 80				
		<b>योग 10 एल. शाखा</b>		<b>1238</b>				
		11 एल. शाखा	डमेंजर अरोंदा	90 80				
		<b>योग 11 एल. शाखा</b>		<b>170</b>				
		12 एल. शाखा	अरोंदा	50				
		13 एल. शाखा	परसोटा नरहोली	553 120				
		<b>योग 13 एल. शाखा</b>		<b>673</b>				
		डी. ओ. 13	किसरोली	54				
		डी. ओ. 14	किसरोली	33				
		डी. ओ. 15	बूढसिरथरा	100				
		डी. ओ. 16	परसोटा	58				
		<b>योग डी. ओ. 13 से 16 तक</b>		<b>245</b>				
		<b>उत्सिचन एल.एम.सी. राइट साईड</b>		<b>318</b>				
		<b>योग संथा 067 परसोटा</b>		<b>3190</b>				
		<b>जल उपभोक्ता संथा 068 मानपुरबल्ला</b>				<b>संथा अध्यक्ष का नाम : श्री दौजीराम कुशवाह मो. 9617580240</b>		
	संथा 068 मानपुरबल्ला	14 एल. शाखा	घाड़ोर  छडेह डोंगरपुर	110  110 30	मानपुरबल्ला	श्री व्ही. के. कुलश्रेष्ठ	श्री राजपाल सिंह जादौन	मानपुरबल्ला
		<b>योग 14 एल.</b>		<b>250</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15 एल. शाखा	काशीपुर	40	मानपुरबल्ला	श्री व्ही. के. कुलश्रेष्ठ	श्री राजपालसिंह जादौन	मानपुरबल्ला
			बुराबली	130				
			भोपतपुर	70				
		<b>योग 15 एल. शाखा</b>		<b>240</b>				
		16 एल. शाखा	घाड़ोर	109				
			भौपतपुर	40				
			अलापुर	200				
			नरहेला	25				
			कस्बा जौरा	40				
			मानपुरबल्ला	162				
			अगरोता	120				
			सांकरा	120				
			गैपरा	100				
		<b>योग 16 एल. शाखा</b>		<b>916</b>				
		डी. ओ. 18	मजरा	106				
		डी. ओ. 19	बुराबली	55				
			मजरा	25				
			काशीपुर	25				
		<b>योग डी. ओ. 19</b>		<b>105</b>				
		डी. ओ. 20	काशीपुर	33				
		<b>उत्सिंचन एल.एम.सी. राइट साईड</b>		<b>418</b>				
		<b>योग संथा 068 मानपुरबल्ला</b>		<b>2068</b>				
		<b>कुल योग नहरी उप संभाग क्र. 2, सबलगढ़</b>		<b>16000</b>				

## घोषित क्षेत्र वर्ष 2013-14 सम्बत् 2070

## तलाबी उपसंभाग क्रमांक 2, सबलगढ़

स. क्र.	संथा का नाम	नहर का नाम उपशाखा	सिंचाई ग्रामों का नाम	घोषित क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सेक्शन का नाम	नाम उपयंत्री	नाम अमीन	नाम हल्का अमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>संथा 072 टोंगा तालाब</b>					<b>संथा अध्यक्ष का नाम : श्री महेश रावत मो. 9329775402</b>		
	072 टोंगा	टोंगा तालाब	टोंगा	114	टोंगा	श्री के. के. शर्मा	श्री सदाशिव शर्मा	टोंगा
			देपुर	60		मो. 9039784581		
			कुतघान	20				
			पासौनकलां	-				
			पासौनखुर्द	-				
			रानीपुरा	50				
			गुदाया	40				
			पहाड़ी	-				
		<b>कुल योग टोंगा तालाब</b>		<b>284</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
संथा 073 जबाहरगढ़/कैमाराकलां तालाब					संथा अध्यक्ष का नाम : श्री हरीशंकर रावत			
073 जबाहरगढ़ तालाब	जबाहरगढ़ तालाब	जबाहरगढ़	—	जबाहरगढ़	श्री पी. सी. शर्मा	श्री सदाशिव शर्मा	जबाहरगढ़	
					मो. 9977641040			
		अनघौरा		45				
		मढेवा		30				
		जोरगढी		15				
		टेंटरा		10				
कुल योग जबाहरगढ़ तालाब				100				
कैमाराकलां तालाब	कैमाराकलां	कैमाराकलां		40				
कुल योग जबाहरगढ़ संथा				140				
	रूनघान खालसा स्टोपडेम	रूनघान		50	रूनघान	श्री के. के. शर्मा	श्री सदाशिव शर्मा	रूनघान
	सालई स्टोप डेम	सालई		50	सालई			सालई
	बातेड़ स्टोप डेम	बातेड़		25	बातेड़	श्री पी. सी. शर्मा		बातेड़
कुल योग तालाबी उप संभाग क्र. 2 सबलगढ़				549				
कुल योग नहरी + तालाबी उप संभाग क्र. 2 सबलगढ़				16549				

एस. एन. पाण्डे,  
सिंचाई निरीक्षक,  
जल संसाधन उपखण्ड क्र. 2, सबलगढ़,  
जिला मुरैना (म.प्र.).  
मो. 9827805609

आर. सिंह,  
उपखण्डीय पदाधिकारी,  
जल संसाधन उपखण्ड क्र. 2, सबलगढ़,  
जिला मुरैना (म.प्र.).  
मो. 8966031791

डी. एल. शाक्य,  
कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग सबलगढ़,  
जिला मुरैना (म.प्र.).

घोषित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण फसल, वर्ष 2013-14 सम्वत् 2070  
नहरवार, शाखावार, ग्रामवार, संथावार घोषित क्षेत्र की जानकारी उपसंभाग-कैलारस

जल उपभोक्ता संथा 062 सुर्जमा				संथा अध्यक्ष का नाम : श्री राजकमल धाकड़ मो. 9907690519			
062 सुर्जमा	5 एल. एम. सी.	मामचौन	160	सुर्जमा	श्री एस. एस. विष्ट	श्री राकेश बाथम	सुर्जमा
					मो. 9926578506 मो. 8103953877		
		खिरी	110				
		पलिखिनी	180				
		कट्टोली	95				
		बिलौऊआ	90				
		बाल्हेरा	235				
		सुर्जमा	275				
कुल योग 5 एल शाखा				1145			
	1 आर 5 एल एल. एम. सी.	देवकच्छ	75				
		बरौली	45				
		खिरी	120				
		कट्टोली	80				
कुल योग 1 आर 5 एल, एल.एम. सी.				320			
	2 एल 5 एल, एल. एम. सी.	सुर्जमा	275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 आर 5 एल, एल. एम. सी.	भुरावली	170	सुर्जमा	श्री. एस. एस. विष्ट	श्री राकेश बाथम	सुर्जमा
		4 आर 5 एल, एल. एम. सी.	सुर्जमा	265			मो. 9926578506 मो. 8103953877	
			कैलारस	-				
			निरारा	145				
			बीरम्पुर	205				
			गस्तोली	175				
			रीझोनी	245				
			कोंढेरा	185				
			चोंढेरा	255				
<b>कुल योग 4 आर 5 एल. एल. एम. सी.</b>				<b>1475</b>				
<b>योग संथा 062 सुर्जमा</b>				<b>3385</b>				
<b>जल उपभोक्ता संथा 063 कैलारस</b>				<b>संथा अध्यक्ष का नाम : श्री मुन्नालाल यादव मो. 9977286101</b>				
	063 कैलारस	5 एल. एल. एम. सी.	कैलारस	50	कैलारस	श्री डी. के. अवस्थी	श्री आर. एस. सोलंकी	कैलारस
						मो. 9926268119	मो. 9827802248	
			भिलसैया	170				
			बेरईमानगढ़	165				
			रिठोनियां	35				
			कुरौली	185				
			बड़गाँव	50				
			डोंगरपुर	55				
			मानगढ़					
			लाभकरन	55				
			तोरिका	90				
			आंतरी	—				
<b>कुल योग 5 एल. एल. एम. सी.</b>				<b>855</b>				
		5 आर. 5 एल. एल. एम. सी.	कैलारस	175				
			कुरौली	20				
			बड़गाँव	10				
			डोंगरपुर	30				
			तोरिका	25				
			बस्तोली	100				
			पिपरौआ	90				
			खेरामानगढ़	100				
			चमरगवां	90				
<b>कुल योग 5 आर 5 एल. एल. एम. सी.</b>				<b>640</b>				
		6 आर. 5 एल. एल. एम. सी.	कुरौली	110				
			बड़गाँव	190				
			डोंगरपुर	35				
<b>कुल योग 6 आर 5 एल. एल. एम. सी.</b>				<b>335</b>				
		7 एल. 5 एल. एल. एम. सी.	कुरौली	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			लाभकरन	120	कैलारस	श्री डी. के. अवस्थी	श्री आर. एस. सोलंकी	कैलारस
			बंगस	70		मो. 9926268119	मो. 9827802248	
			सुजानगढ़ी	125				
			बुद्धगढ़ी	110				
			बिलगाँव क्वारी	180				
			<b>कुल योग 7 एल 5 एल. एल. एम. सी.</b>	<b>655</b>				
		8 एल. 5 एल. एल. एम. सी.	नयागाँव	45				
			बंगस	35				
			सुजानगढ़ी	70				
			बुद्धगढ़ी	80				
			<b>कुल योग 8 एल 5 एल. एल. एम. सी.</b>	<b>230</b>				
			<b>कुल योग संथा 063 कैलारस</b>	<b>2715</b>				
			<b>जल उपभोक्ता संथा 064 शेखपुर</b>			<b>संथा अध्यक्ष का नाम : श्री कल्याण त्यागी मो. 7879031741</b>		
	064 शेखपुर	5 एल. एल. एम. सी.	नयागाँव	45	कैलारस	श्री एम.डी. शर्मा	श्री आर. डी. शर्मा	शेखपुर मो. 9977113053
			बंगस	55				
			सुजानगढ़ी	310				
			मद्दीपुरा	155				
			शेखपुरा	140				
			दीपेरा	98				
			तोरिका	68				
			लाभकरन	64				
			<b>योग 5 एल. 5 एल. एम. सी.</b>	<b>935</b>				
			8 एल. 5 एल. एल. एम. सी.					
			नयागाँव	35				
			बंगस	30				
			<b>योग 8 एल. 5 एल. एल. एम. सी.</b>	<b>65</b>				
		9 आर. 5 एल. एल. एम. सी.	नयागाँव	40				
			शेखपुर	90				
			दीपेरा	55				
			स्यावटा	145				
			मकुंदा	75				
			बुड़हेरा	285				
			<b>योग 9 आर 5 एल. एल. एम. सी.</b>	<b>690</b>				
		10 आर. 5 एल. एल. एम. सी.	सुजानगढ़ी	140				
			मद्दीपुरा	20				
			टुढीला	100				
			मुक्त्यारपुर	155				
			खुटियानीहार	225				
			खुटियानीबेहड	65				
			एहरोली	280				
			चचेड़ी	225				
			जखौदा	40				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			शेरपुर	35	कैलारस	श्री एम. डी. शर्मा	श्री आर. डी. शर्मा	शेखपुर मो. 9977113053
			मोहना	80				
			जेतपुर	100				
			बुड़ावली	100				
			टेहा जौरा	25				
योग 10 आर 5 एल. एल. एम. सी.				1590				
योग संथा 064 शेखपुर ..				3280				
जल उपभोक्ता संथा 065 टुडीला					संथा अध्यक्ष का नाम : श्री भागीरथ रावत			
065 टुडीला	5 एल. एल. एम. सी.	टुडीला	245	टुडीला	श्री एस. आर. मस्तोलिया	श्री आर. डी. शाक्य	टुडीला	मो. 9977113053
	11 आर. 5 एल. एल. एम. सी.	टुडीला	150					
		दीपैरा	500					
		बिसनौरी	310					
		जलालपुर	225					
		जौनारा	200					
		निमास	150					
		सिकरौदा	280					
कुल योग 11 आर 5 एल. एल. एम. सी.				1815				
योग संथा 065 टुडीला				2060				
जल उपभोक्ता संथा 066 बघेल					संथा अध्यक्ष का नाम : श्री द्वारिकाप्रसाद त्यागी मो. 9098686448			
066 बघेल	5 एल. एल. एम. सी.	जलालपुर	25	बघेल	श्री एम. सी. गुप्ता	श्री राजेन्द्र राजपूत	बघेल	
		जैतपुर	55					
		बदरपुरा	95					
		बघेल	185					
		शेरपुर	25					
		मुख्यारपुर	55					
		भटियारा	70					
		मोहना	35					
		बघोराखुर्द	205					
		बघोराकलां	135					
		चिन्नीनी करैरा	370					
योग 5 एल. एल. एम. सी. . .				1255				
12 आर, 5 एल. एल. एम. सी.		टुडीला	15					
		बघेल	180					
		जलालपुर	45					
योग 12 आर. 5 एल. एल. एम. सी. . .				240				
13 आर. 5 एल. एल. एम. सी.		बघेल	15					
		भटियारा	75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			रसोंधना	205	बघेल	श्री एम. सी.	श्री राजेन्द्र	बघेल
			पांसरोडी	145		गुप्ता	राजपूत	
			करोरी	165				
			बघोराकलां	45				
			बदरपुरा	165				
			योग 13 आर. 5 एल. एल. एम. सी.	815				
			योग संथा 066 बघेल	2310				
			कुल योग उप संभाग कैलारस	13750				
			कुल योग नहरी जल संसाधन संभाग सबलगढ़.	54100				
			कुल योग तालाबी जल संसाधन संभाग सबलगढ़.	2387				
			कुल योग नहरी + तालाबी जल संसाधन संभाग सबलगढ़	56487				

आर. एस. सोलंकी,  
सिंचाई निरीक्षक,  
जल संसाधन उपखण्ड, कैलारस  
जिला मुरैना (म. प्र.)  
मोबा. 9827802248

ए. बी. शर्मा,  
उपखण्डीय पदाधिकारी,  
जल संसाधन उपखण्ड, कैलारस  
जिला मुरैना (म. प्र.)

डी. एल. शाक्य,  
कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग, सबलगढ़  
जिला मुरैना (म. प्र.)

### मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, भोपाल आदेश

क्रमांक-सी. आर./9/92/म./31

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2006

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 37 की उपधारा (2) सहपठित मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1974 के नियम 36 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस यथा विद्यमान तथा निर्मित किये जाने वाले समस्त तालाबों, नहरों आदि से नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट फसलों के लिये जल प्रदाय हेतु उक्त अनुसूची के कॉलम (3) की तत्स्थायी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट दर दिनांक 01 नवम्बर, 2005 से आगामी आदेश तक.

मध्यप्रदेश में सिंचाई संकर्मों से कृषि प्रयोजन के लिये जल प्रदाय हेतु जलदर की अनुसूची (प्रवाह (Flow) एवं उद्वहन (Lift) सिंचाई.

#### विभिन्न फसलों के लिये सिंचाई की दरें

क्र.	फसलों के नाम	जल दर प्रति हैक्टेयर (रुपयों में)
1	2	3
1.	धान (खरीफ) प्रत्येक बार पानी पर	85.00
2.	हरी घास वाली फसलें/मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मक्का, मूँग (खरीफ) सोयाबीन (खरीफ), तिल्ली, तुअर (खरीफ), उड़द	50.00
3.	कपास प्रत्येक बार पानी पर	70.00
4.	धान (रबी) प्रत्येक बार पानी पर	155.00

1	2	3
5.	गेहूँ	
	1. पलेवा	125.00
	2. प्रत्येक अतिरिक्त पानी	75.00
6.	चना प्रत्येक बार पानी पर	75.00
7.	धनियाँ, मूँगफली (रबी), मूँग (रबी), सरसों, कुसुम (सेटप्लावर) सूरजमुखी, सोयाबीन (रबी), प्रत्येक बार पानी पर	75.00
8.	जौ, बैंगन, गाजर, गोभी, मिर्च, ककड़ी, घुईया, मैथी, अदरक, लहसुन ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियाँ.	630.00
9.	बरसीम घांस (फाडक क्राप)	480.00
10.	केला, गन्ना, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे	960.00
11.	जमीन तैयार करने के लिए जल (पलेवा)	
	अ. खरीफ	125.00
	ब. रबी	125.00
12.	ऊपर वर्णित फसलों के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदाय किये गये प्रत्येक पानी पर.	50.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. व्ही. रमणी,  
उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग मंत्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-18-1/91/मध्यम/31/797

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-18-1/91/मध्यम/31/436, भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल, 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पाठित उक्त अधिनियम की धारा 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्वारा सम्पूर्ण राज्य में निजी क्षेत्र के उद्योग एवं केन्द्र अथवा राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए शासकीय/नैसर्गिक स्रोत से जल के उपयोग के लिए निम्नानुसार जल दरें निर्धारित करती हैं:—

स. क्र.	वर्गीकरण	दिनांक 01-01-10 से प्रभावशील	दिनांक 01-01-11 से प्रभावशील	दिनांक 01-01-12 से प्रभावशील	दिनांक 01-01-13 से प्रभावशील
1	2	3	4	5	6
अ.	शासकीय स्रोत से यथा जलाशय, नहर नलकूप आदि.	4.00	4.50	5.00	5.50
ब.	नैसर्गिक स्रोत यथा नदी, झील या अन्य	1.00	1.15	1.35	1.55

1	2	3	4	5	6
प्राकृतिक संग्रह स्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से—					
1.	स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/कराया जाने की दशा में.				
2.	नैसर्गिक जल स्रोत से सीधे जल लिए जाने की दशा में.				

(2) जल विद्युत परियोजना में जल के उपयोग के लिए निर्धारित जल दरें:—

स. क्र.	स्रोत	दर
1	2	3
अ.	शासकीय जल भंडारण योजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत परियोजनाओं की जेनेरिटिंग इकाइयों को प्रदाय किए जाने वाला जल से, जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना.	20 पैसा प्रति विद्युत इकाई (किलोवाट घंटा) दर दिनांक 01-01-10 से इसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि.
ब.	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत परियोजना.	05 पैसा प्रति विद्युत इकाई ( प्रति किलोवाट घंटा) उत्पादन दिनांक 01-01-10 से एवं प्रति विद्युत इकाई ( प्रति किलोवाट घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि.

टीप:—

- (1) मध्यप्रदेश शासन की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत जल विद्युत योजनाओं के लिये निर्धारित दरें 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू नहीं होगी.
- (2) जल का उपयोग प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित इकाई को प्रारूप-7 'क' में अनुबंध निष्पादित करना होगा.
- (3) लघु जल विद्युत परियोजनाओं के 25 मेगावाट तक क्षमता की परियोजनाओं के लिए भी जल प्रदाय के अनुबंध प्रारूप-7 'क' में किए जावेंगे तथा अनुबंध की कंडिका (2), निम्नानुसार संशोधित की जावेगी:—  
'कम्पनी' उसके द्वारा उक्त नैसर्गिक या शासकीय जल स्रोत से लिए गए जल के लिए शासन द्वारा 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर जल कर लागू करने की तिथि से जल कर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी.
- (4) ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में औद्योगिक प्रयोजन के लिए दर्शाई गई दरें लागू होंगी.

(747)

एस. के. खरे,  
सचिव.

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1092, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयवाधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नाया, तह.बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1308, दिनांक 15 जनवरी, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. आर. कोचले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1093, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मन्दौरी, तह.महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1490, दिनांक 28 जुलाई, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सौहन चौहान, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1085, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजलवाडा, तह.बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1332, दिनांक 31 मार्च, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सौहन चौहान, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1084, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालीखेडा, तह.बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1402, दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-C)

खरगोन, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2013/1321.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1083, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुडगांव, तह.बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1320, दिनांक 26 मार्च, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-D)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1082, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोमाखेडी, तह.महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1067, दिनांक 03 जनवरी, 1997 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-E)

खरगोन, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2013/1323.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1081, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोगांवा, तह.महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./706, दिनांक 06 जुलाई, 1987 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-F)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1094, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिलाली, तह.गोगावा, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1080, दिनांक 26 जनवरी, 1997 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मनोहर वास्केल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, गोगावां को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1097, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चुन्दड़िया, तह.महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1379, दिनांक 23 अगस्त, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1102, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1456, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1106, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धसगांव, तह.खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1480,

दिनांक 03 मार्च, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1073, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडेवल, तह.महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1068, दिनांक 03 जनवरी, 1997 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1086, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठनगांव, तह.महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1487, दिनांक 28 जुलाई, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सौहन चौहान, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1087, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसगांव, तह.सेगांवा, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1076, दिनांक 09 जनवरी, 1997 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सेगांवा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-M)



[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1088, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घेधावा, तह.सेगांवा, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1251, दिनांक 27 मार्च, 2000 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सेगांवा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-N)

खरगोन, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1332.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1090, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्भ्या, तह.बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1322, दिनांक 26 मार्च, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. आर. कोचले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-O)

खरगोन, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1333.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1089, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सताजना, तह.बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1321, दिनांक 26 मार्च, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. आर. कोचले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1095, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा

अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलगांव, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1325, दिनांक 23 अगस्त, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. एस. मण्डलोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-Q)

खरगोन, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1335.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1071, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकावा, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1071, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. एल. वास्केल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1072, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बहेगांव, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1491, दिनांक 28 जुलाई, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1068, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भानबरड, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1284,

दिनांक 15 जनवरी, 2001 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री संतोष जोशी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1069, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोदिया, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1078, दिनांक 13 जनवरी, 1997 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1105, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काटकूट, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1339, दिनांक 13 मार्च, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री सौहन चौहान, सहकारी निरीक्षक, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1102, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1364, दिनांक 16 फरवरी, 2004 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. एस. मण्डलोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(748-W)



अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमलाथा, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1473, दिनांक 13 जनवरी, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कसरावद को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1104, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थरवर, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1338, दिनांक 23 जून, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. एस. मण्डलोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1080, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कवाडिया, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1489, दिनांक 28 जुलाई, 2006 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1079, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नगांवा, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1079,

दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री ललित भावसार, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-C)

खरगौन, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1348.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1078, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भोगावानिपानी, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1311, दिनांक 15 जनवरी, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री ललित भावसार, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-D)

खरगौन, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1349.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1077, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेमला, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./910, दिनांक 08 मार्च, 1994 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री ललित भावसार, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-E)

खरगौन, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1350.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1074, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डला, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1345, दिनांक 28 जून, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. एल. वास्केल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-F)

खरगौन, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1351.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1076, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरापुर, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1334, दिनांक 31 मार्च, 2002 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री एस. एल. वास्केल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1070, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्रीखण्डी, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./671, दिनांक 29 जनवरी, 1985 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1067, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरपाला, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./732, दिनांक 06 अक्टूबर, 1989 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मोहन परमार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1075, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डिया, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1342, दिनांक 23 जून, 2003 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर.के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1108, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मलतार, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1246, दिनांक 27 मार्च, 2000 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कसरावद को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1100, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगांवा, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1456, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री आर. के. रोमडे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महेश्वर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-L)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/512.—पीर रामदेव कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., चिराखान, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1260, दिनांक 05 अप्रैल, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/523/दिनांक 21 मार्च, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2010/1750, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञापित क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत



प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कापॉरेट ) निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-M)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/513.—रेशम उद्योग सहकारी संस्था मर्या., छोटी छालपा, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./540, दिनांक 21 फरवरी, 1980 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/221/दिनांक 21 फरवरी, 1992 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2011/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कापॉरेट ) निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-N)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/514.—खादी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., नन्दगांव, बगूद, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./364, दिनांक 02 मार्च, 1956 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1881/दिनांक 19 मार्च, 1990 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2011/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कापॉरेट ) निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-O)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/515.—श्री राम कामकार कारीगार सहकारी संस्था मर्या., गोगावां (डिगार), तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1180, दिनांक 30 अक्टूबर, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1687/दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2011/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत

प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कापोरिट ) निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-P)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/516.—जय मों भवानी रेत उतखन्न सहकारी संस्था मर्या., बेहगांव, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1154, दिनांक 08 अक्टूबर, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1770/दिनांक 23 सितम्बर, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2011/1205, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कापोरिट ) निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-Q)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दक्षिण गंगा का कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., पिटामली, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1159, दिनांक 19 नवम्बर, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/206/दिनांक 25 फरवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. संशोधित आदेश क्र./परि./2010/251, दिनांक 10 मार्च, 2010 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से (बॉडी कापोरिट ) निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-R)

खरगोन, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

मों जयन्ती पि. वर्ग हरि रेत उतखन्न सहकारी संस्था मर्या., सेमरला, तह. बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/N.M.R.(K.R.G.N.)/1036, दिनांक 07 फरवरी, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/251/दिनांक 10 जून, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 मार्च, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-S)

खरगोन, दिनांक 18 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./556, दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को समिति अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत होने उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र में कथित आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बड़ा, तह.सेगाँव, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/1372, दिनांक 07 जून, 2004 को इस आदेश क्रमांक के दिनांक से परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सेगाँव को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

प्राथमिक तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करही, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./937, दिनांक 11 नवम्बर, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1737/दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्र./परि./2013/808, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

जय संतोषी कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., सुलगाँव, तह. महेश्वर, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1203, दिनांक 12 फरवरी, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1737/दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्र./परि./2013/808, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-W)

खरगोन, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

संस्था के पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 2013 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संस्था संचालक मण्डल एवं सदस्यों द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. साथ ही संस्था विगत तीन वर्षों से कार्य व्यवसाय भी बंद कर दिया है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहर सृजन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोगांवा, तह. गोगांवा, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1567, दिनांक 16 अप्रैल, 2009 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री बंसत यादव, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दसनावल, तह. सेगांव, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./650, दिनांक 17 फरवरी, 2006 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1678/दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्र./परि./2013/805, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(749-Y)

खरगोन, दिनांक 05 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./598, दिनांक 27 मई, 2011 को समिति के अकार्यशील होने से अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमों का पालन न करने से एवं समिति के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र के उत्तर में संस्था प्रबंधक द्वारा भी संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र के माध्यम से निवेदन किया है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कसरावद, तह. कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/1242, दिनांक 03 फरवरी, 2000 को इस आदेश क्रमांक के दिनांक से परिसमापन में लाते हुए श्री राजाराम भट्ट, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. खण्ड कसरावद को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(749-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी, तह. कसरवावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./263, दिनांक 23 दिसम्बर, 1957 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1205/दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. पुनः संशोधित आदेश क्र./परि./2013/805, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के तहत परिसमापक परिवर्तित किया गया था. परिसमापक द्वारा पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर निरंक स्थिति विवरण पत्रक के साथ अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 07 नवम्बर, 2013 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 07 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(750)

खरगोन, दिनांक 19 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1518.—सहकारिता के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2013 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संस्था बंद है और इसे चलाना नहीं चाहते हैं. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था का विघटन हेतु आवेदन किया गया है. चूंकि सहकारिता विगत कई वर्षों से अकार्यशील है, सहकारिता द्वारा न तो संचालक मण्डल की बैठक आयोजित कि है ना ही आमसभा आयोजित की है. सहकारिता के सभी सदस्यों द्वारा कोई भी रूचि नहीं ली जा रही है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वैष्णवी साख सहकारिता मर्या., खरगोन, तह. खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/डी. आर./123, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 को इस आदेश द्वारा विघटन करने हेतु श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(750-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

रेवा विपणन सहकारी संस्था मर्या., बडवाह,

2, महात्मा गांधी मार्ग बडवाह.

रेवा विपणन सहकारी संस्था मर्या., बडवाह तहसील बडवाह जिसका पंजीयन क्रं. 1512, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था अपने गठन के उद्देश्यों में विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम व उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है व संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था कार्य में रूचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को लगातार तीन वर्षों से 'डी' वर्ग प्राप्त हो रहा है.

उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाना प्रस्तावित है। अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, खरगोन, रेवा विपणन सहकारी संस्था मर्या., बडवाह को यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी करता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे।

अतः आप दिनांक 11 जून, 2013 दिन मंगलवार को मेरे कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित कथन प्रस्तुत करें। समयावधि में प्रत्युत्तर/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(749-T)

बी. एस. अलावा,  
उप-पंजीयक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2013-पौष 6, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कैलारस (मुरैना), गुना, कुंभराज (गुना), बीना, बण्डा, सागर, रहली, राहतगढ़, केसली (सागर), मझगवां, अमरपाटन (सतना), अनूपपुर (अनूपपुर), जोवट, कट्टीवाडा (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, गंधवानी(धार), बड़वानी,ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पाटी (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), बेगमगंज, बरेली, उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही, शाहपुर (बैतूल), मझौली (जबलपुर), विजयराघवगढ़ (कटनी), निवास, मण्डला (मण्डला), सिवनी, केवलारी,लखनादौन, बरघाट, कुरई, घनोरा, छपारा (सिवनी), लांजी, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील पोरसा, सबलगढ़ (मुरैना), ग्वालियर, घाटीगांव (ग्वालियर), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), खुरई (सागर), जेतहरी (अनूपपुर), सिंहवाल (सीधी), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), सीहोरा, पाटन, कुन्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, बहोरीबंद, डीमरखेड़ा, बरही (कटनी), वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( स ) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), बड़ामलहरा, बकस्वाहा (छतरपुर), देवरी (सागर), बांधवगढ़,मानपुर (उमरिया), बिछिया, नैनपुर, घुघरी (मण्डला), शाहपुरा (डिण्डोरी), घंसोर (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( द ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, जौरा (मुरैना), भितरवार (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा (शिवपुरी), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़,पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लौण्डी, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर (छतरपुर), मालथोन, शाहगढ़ (सागर), कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली (उमरिया), गोपदवनास, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), जबलपुर (जबलपुर), बड़वारा (कटनी), नारायणगंज (मण्डला), डिण्डेरी (डिण्डोरी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

( ड ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील हुजूर, बैरसिया(भोपाल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली में जुताई व रीवा में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिवनी में फसल रामतिल व मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला रायसेन में अधिक वर्षा होने से 30 प्रतिशत तक फसलों को क्षति एवं सागर में अतिवृष्टि से फसलें कहीं-कहीं प्रभावित हुई हैं.

5. **कटाई.**—

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.



## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर, 2013

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	73.0 24.0 51.0 96.0 23.0 15.0				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, कपास, मूँगफली, ज्वार, बाजरा, तिल, धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग, तुअर. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	.. .. ..				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रौन }	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	28.2 51.0 53.5 28.0				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा 2. दतिया 3. भाण्डेर	.. .. ..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	.. 94.9 60.0 83.0 109.0 .. .. ..				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	4.6		4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मक्का समान.	6. संतोषप्रद.	8. ..
2. राघौगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	8.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	113.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, मूँगफली, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	80.0		(2) ..		
3. जतारा	75.0				
4. टीकमगढ़	59.0				
5. बल्देवगढ़	27.0				
6. पलेरा	67.0				
7. ओरछा	69.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	172.0		4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	74.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	130.9				
4. छतरपुर	105.0				
5. राजनगर	126.1				
6. बिजावर	119.5				
7. बड़ामलहरा	51.6				
8. बक्सवाहा	50.8				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मक्का, तुअर, सोयाबीन अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. अतिवृष्टि से फसलें प्रभावित हुई हैं.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	5.4		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	28.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	9.2				
4. सागर	2.2				
5. रेहली	7.5				
6. देवरी	45.0				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	11.0				
9. केसली	12.0				
10. मालथोन्	58.0				
11. शाहगढ़	80.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग, मक्का, तुअर अधिक. कोदों-कुटकी, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	4.0		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	5.0				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..		4. (1) अरहर, धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	19.5		4. (1) मक्का, धान अधिक. कोदों, सोयाबीन, उड़द, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	11.7		(2) ..		
3. कोतमा	46.5				
4. पुष्पराजगढ़	43.2				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	38.2		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल अधिक. रामतिल-कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	111.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	44.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	55.6		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदों-कुटकी, तिल, तुअर, मूँग, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	31.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	55.0				
4. कुसमी	126.0				
5. चुरहट	79.1				
6. रामपुरनैकिन	79.0				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) धान, तुअर, मक्का अधिक. कोदो, ज्वार, मूँग, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. धुन्धड़का	..				
7. सीतामऊ	..				
<b>*जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
<b>जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	5.2				
7. नागदा	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापिपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6	
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुवर, उड़द, मूँगमोठ, गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..					
2. टोंकखुर्द	..					
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नौद	..					
6. खातेगांव	..					
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मूँगफली, धान अधिक. मक्का कम, कपास, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..					
2. मेघनगर	..					
3. पेटलावद	..					
4. झाबुआ	..					
5. भामरा	..					
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास अधिक. मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूँगफली, सोयाबीन, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. जोवट	7.2					
2. अलीराजपुर	..					
3. भामरा	..					
4. कट्टीवाड़ा	5.0					
5. सोण्डवा	..					
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, कपास, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	6.0					
2. सरदारपुर	5.0					
3. धार	10.0					
4. कुक्षी	..					
5. मनावर	..					
6. धरमपुरी	..					
7. गंधवानी	1.0					
8. डही	..					
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..					
2. सांवेर	..					
3. इन्दौर	..					
4. महु	..					
(डॉ. अम्बेडकरनगर)						
<b>जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास मूँगफली, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..					
2. सनावद	..					
3. महेश्वर	..					
4. सेगांव	..					
5. करही	..					
6. खरगौन	..					
7. गोगावां	..					
8. कसरावद	..					
9. मुल्ठान	..					
10. भगवानपुरा	..					
11. भीकनगांव	..					
12. झिरन्या	..					

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	10.0		4. (1) कपास, तुअर, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	13.0				
3. राजपुर	9.0				
4. सेंधवा	4.0				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	11.0				
7. निवाली	..				
<b>जिला पूर्व-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) सोयाबीन सुधरी हुई. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	21.4		4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	6.4				
3. नेपानगर	27.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. गन्ना, ज्वार, तुअर कम. मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	8.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	595.0		4. (1) सोयाबीन, धान अधिक. मक्का, मूँगफली, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	1281.4				
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) .. (2) ..	6. संतोषप्रद, ..	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. अधिक वर्षा होने से	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..	30% तक फसलों को	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..	क्षति हुई है.	सोयाबीन, मूंगफली, तिल, उड़द,	..	
3. बेगमगंज	2.4		सन, गन्ना.		
4. गोहरगंज	..		(2) ..		
5. बरेली	6.0				
6. सिलवानी	..				
7. बाडी	..				
8. उदयपुरा	7.4				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	5.4		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	3.1				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
<b>*जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	32.0		4. (1) धान, उड़द, तिल, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	27.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	96.1				
4. मझौली	4.3				
5. कुण्डम	32.0				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	33.8		4. (1) धान, मक्का, तिल, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	32.0		राहर, कोदो, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	3.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	20.8				
5. ढीमरखेड़ा	23.0				
6. बरही	26.0				
7. बड़वारा	63.0				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	14.3		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	39.4		(2) ..		
3. नैनपुर	48.9				
4. मण्डला	11.4				
5. घुघरी	44.5				
6. नारायणगंज	193.2				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	59.9		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, राहर, कोदो-कुटकी, तिल, जगनी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	48.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांहुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. रामतिल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	1.2		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल अधिक. ज्वार, कोदो-कुटकी, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सन कम. मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	3.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	8.0				
4. बरघाट	3.2				
5. कुरई	3.0				
6. घंसौर	47.0				
7. धनोरा	4.2				
8. छपारा	1.3				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	57.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	10.2		(2) ..		
3. बैहर	10.0				
4. वारासिवनी	28.6				
5. कटंगी	26.4				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला भिण्ड, अशोकनगर, शहडोल, नीमच, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(744)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.